वर्ष 4 अंक 1 जनवरी 1982 50

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र

सभी पार्टियों व संगठनों द्वारा 19 जनवरी के आह्वान का स्वागत

—बी. टी. रणदि

19 जनवरी को हड़ताल के लिए आह्वान को चारों ओर समर्थन मिल रहा है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों व फेडरेशनों की राज्य समितियां आह्वान को सफल बनाने के लिए गंभीर तैयारियों में जुटी हैं। विभिन्न फेडरेशनों व यूनियनों की कार्यकारिणियों में हड़ताल का समर्थन व अखिल भारतीय प्रतिरोध में भाग लेने के लिए मजदूरों का आह्वान करते हुए प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं।

चहुमुखी समर्थन

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान को संसद में विपक्षी दलों का पूरा समर्थन मिला है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी, आर. एस. पी. फारवर्ड ब्लाक, सी. पी. आई., जनता, बी. जे. पी., सी. पी. आई. (एम), लोकदल व जनवादी द्वारा जारी एक अपील में आह्वान का समर्थन किया गया है और कहा गया है कि "हम यह जानकर प्रसन्न हैं कि मजदूर वर्ग ने किसानों के लिए लाभकारी दाम, खेतिहर मजदूरों के लिए बेहतर वेतन तथा खाद्य व अन्य आवश्यक वस्तुओं की उचित दामों पर जनता को सप्लाई करने के मुद्दे उठाए हैं।"

इससे पहले, सी. पी. आई. (एम) की केंद्रीय कमेटी ने अपनी 6 दिसंबर की बैठक में आह्वान को अपना समर्थन दिया और कहा "केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फेडरेशनों के आह्वान पर मजदूर वर्ग सरकार की बुनियादी आर्थिक नीतियों के खिलाफ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों व एकाधिकारियों को भारी राहतें देने व भूपतियों के साथ समझौते तथा विदेशी ऋणों पर बढ़ती निर्भरता की नीतियों के खिलाफ, और अपनी व आम जनता के सभी तबकों की सुरक्षा के लिए एकजुट कार्रवाई करने जा रहा है।" प्रस्ताव में फिर कहा गया है: "मजदूर वर्ग की एकजुट आवाज समूची जनता को प्रेरणा देगी और अधिनायकवाद के खिलाफ व जनवाद के विकास के लिए संघर्ष में असंगठित तबकों को आकर्षित करेगी, और इसे पूरा जनप्रिय समर्थन देना होगा।"

युवकों व छात्रों के तेरह संगठनों ने भी 13 दिसंबर को जारी कि गए एक बयान में आह्वान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि "ह जनवाद व ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए, बेरोजगारी व कीमत वृ के खिलाफ, एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना के लिए सं में ट्रेड यूनियनों के साथ शामिल होते हैं, और उनके साथ भारत युवकों व छात्रों की रोजगार या बेरोजगारी भत्ते, बेहतर शिक्षा प्रणा 18 साल पर मताधिकार, भ्रष्टाचार का खात्मा, छात्रों द्वारा चुनी यूनियनों, छात्रों को ब्लैक-लिस्ट करने का खात्मे की विशिष्ट मांगों

पाठकों को बधाई

सीटू मजदूर के प्रकाशन के चौथे
वर्ष में प्रवेश के लिए पाठकों को बधाई

उठाते हैं।" छात्रों व युवकों द्वारा उठाई गई मांगों का—शिक्षा व वादी अधिकारों के बारे में मांगों का—सीटू पूरा समर्थन करती है।

राजनीतिक पार्टियां, जनवादी ताकतें तथा युवक संगठन सभी आवाज से 19 जनवरी को मजदूर वर्ग की प्रस्तावित कार्रवाई समर्थन करते हैं। मजदूर वर्ग की किसी कार्रवाई को ऐसा बहु समर्थन पहले कभी नहीं मिला। मजदूर वर्ग की एकता के साथ-लोकप्रिय मत की भी एकता है। मजदूर वर्ग की कार्रवाई अधि नीतियों के खिलाफ देशव्यापी प्रतिरोध के लिए, पहले ही बुनि तैयार कर रही है।

एकता से क्या मिल सकता है

मजदूर वर्ग और कर्मचारी अपनी एक जुट शक्ति से क्या पा स हैं पहले ही बिहार में देख लिया गया है जहां राज्य सरकार कर्मचा

19 जनवरी को हड़ताल की तैयारियां करो

वेतन आयोग की सिफारिशों का लागू कराने के लिए काम रोक या। उनके साथ राजपत्रित अधिकारी भी मिल गए और समूचा प्रशान ठप्प हो गया। अराजपत्रित अधिकारियों के साथ हजारों सरकारी ध्यापकों ने मिलकर इस बार कर्मचारियों की ताकत में वृद्धि की थी।

राज्य सरकार कर्मचारियों की ऐसी अनुशासित व एकजुट हड़ताल सने सभी तबकों को शामिल कर लिया पहले कभी नहीं हुई। मजर वर्ग को बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए दमनात्मक कदमों के लाफ प्रतिरोध अवश्य करना चाहिए और राज्य प्रशासन को अपनी नात्मक मशीनरी देने के लिए केंद्रीय सरकार की आलोचना करनी हिए।

या पृष्ठ

बड़ी जन-कार्रवाइयों तथा सभी जनवादी तबकों व राजनीतिक टियों से समर्थन की भूमिका में मजदूर वर्ग को उन आशाओं का जो ब्र बंधी है पूरा सम्मान करना चाहिए और ट्रेड यूनियन इतिहास में क नया पृष्ठ खोलना चाहिए। उन्नीस जनवरी एक ऐसा दिन लिखा ना चाहिए जब यह प्रदर्शित करने के लिए कि बिना इसकी मर्जी के छ नहीं हिल सकता श्रम की पूरी शक्ति लगी थी। ढुलमुलपन की ई जरूरत नहीं हैं। दृढ़ निश्चय के साथ समूची मजदूरवर्ग फौज को गे बढ़ना चाहिए। दमनात्मक कदमों को उठाने के लिए सरकार को त ही गलत सलाह दी जाएगी। लेकिन वे आम राय से तैयार चट्टानी स्ते पर असर नहीं डालेंगी।

उस दिन यूनियनों के सभी जत्थे हड़ताल को सफल बनाने के ने पक्के निश्चय का सबूत पेश करेंगे। जनता द्वारा समर्थित मजदूर को यह समझना चाहिए कि वह कीमत वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं की कमी तथा सीधी भुखमरी के शिकार हमारे देशवासियों के दुखों व पीड़ाओं का इजहार कर रही है।

हड़ताल का महत्व

19 जनवरी को मजदूर वर्ग मांग करता है आवश्यक वस्तुओं की हमारी जनता को घटी कीमतों पर बिक्री, की किसानों को लाभकारी दामों की, खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम जीवनयापन वेतन व सेवा सुरक्षा, कालाबाजारियों के खिलाफ कदम. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 व आई. एम. एफ. ऋण के साथ जोड़ी गयी शर्त को पूरा करने के लिए लगाया गया अनिवार्य सेवा कानून की वापसी, गुप्तमतदान के आधार पर ट्रेड यूनियनों को मान्यता तथा सामूहिक सौदेबाजी व ट्रेड यूनियन अधिकारों की पूरी गारंटी, छटनी व क्लोजर पर प्रतिबंध, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता, सभी विक्टीमाइजेशन के कदमों की वापसी, और जरूरत के अनुसार वेतन तथा महंगाई की पूरी भरपाई व सभी को बोनस की मांग की। मजदूरों की मांगों को किसानों व खेतिहर मजदूरों की फौरी मांगों के साथ और बढ़ते दामों के खिलाफ पीड़ित जनता की मांगों को जोड़कर ट्रेड यूनियन आंदोलन बुर्जुवा-भूपति वर्ग के शोषक शासन के खिलाफ, अधिनायकवादी पार्टी के खिलाफ सभी धाराओं को एकजुट करने के लिए कदम उठा रहा है और जनता के प्रति मजदूर वर्ग की एतिहासिक जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है।

19 जनवरी ट्रेड यूनियन आंदोलन की नयी भूमिका का एक सम्मान जनक प्रदर्शन बने—मजदूरों की सुरक्षा और जनता के हितों की सुरक्षा के लिए। □

स्वागत समिति को सीटू द्वारा बधाई

टू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने एक दिसंबर के अपने पत्र में स्वागत मिति के सचिव सुशील भट्टाचार्य, एम.पी., को रैली के संबंध में र्य के लिए इस प्रकार बधाई दी है :

कामरेड,

संसद के लिए मजदूरों के 23 नवंबर 1981 को ऐतिहासिक मार्च बंध में शिविर के दक्ष प्रबंधन व अन्य कार्यों के लिए किए गए विशाल के लिए सीटू की स्वागत समिति के सदस्यों को मेरी ओर से ई दीजिए व स्वीकार कीजिए। और साथ ही मेरी ओर से सीटू एस आई, डी वाई एफ आई, जनवादी महिला समिति, कोआर्डिनेशन टी आफ वर्किंग वूमैन की दिल्ली राज्य कमेटियों के सदस्यों तथा टरों, अध्यापकों, प्रोफेसरों सहित सभी मित्र संगठनों को जिन्होंने क्रम की महान् सफलता के लिए अपनी पूरी ताकत को लामबंद ा, बधाई दीजिए। एक हजार से भी ज्यादा वालंटियरों ने जिन्होंने सप्ताह तक चौबीसों घंटे अथक कार्य किया सभी से प्रशंसा अर्जित है तथा वे अधिक सराहना के पात्र हैं।

कार्य कठिन था। ऐतिहासिक मार्च के लिए उत्पन्न उत्साह देश के सभी कोनों से हजारों मजदूरों को यहां लाया और वे अनुमानित समय से पहले ही यहां पहुंचने लगे तथा स्वागत समिति ने पानी की गंभीर कमी के बावजूद उन्हें निवास देने व जितना भी हो सका आराम देने के लिए अच्छा कार्य किया है। ऐतिहासिक मार्च के ठीक पहले दिन कामगार महिलाओं के अखिल भारतीय कनवेंशन को जिसमें 300 से भी ज्यादा डेलीगेटों ने भाग लिया सफलतापूर्वक आयोजित करने से स्वागत समिति के ताज में एक और सितारा लग गया—जिसने इतने बड़े हुजूम के प्रबंधन में अपनी क्षमता का महान सबूत पेश किया है।

दिल्ली, हरियाणा, फरीदाबाद व गाजियाबाद के मजदूर वर्ग व सीटू यूनियनों ने 23 नवंबर को हड़ताल करके दसियों हजार की संख्या में भाग लेकर अपनी चेतना के ऊंचे स्तर का प्रदर्शन किया है और वे काफी प्रशंसा के पात्र हैं।

कृपया एक बार फिर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई स्वीकार कीजिए। □

ट्रीय अभियान समिति द्वारा भारत सरकार के खिलाफ आई एल ओ को शिकायत

राष्ट्रीय अभियान समिति ने अपने पहले फैसले के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई. एल. ओ.) के पास 14 दिसंबर को भारत सरकार के खिलाफ आई. एल. ओ. द्वारा निर्धारित संगठन की स्वतंत्रता (कनवेंशन 87-1948) व सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार (कनवेंशन नं. 98-1949) से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तरों का गंभीर उल्लंघन किए जाने के बारे में एक शिकायत भेजी है।

शिकायत पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम हैं। एम. के. पंधे (सीटू), इंद्रजीत गुप्ता (एटक), डी. डी. वशिष्ठ (एच. एम. एस.), ओ. पी. आघी (बी. एम. एस.), जे. एस. दारा (इंटक-दारा), प्रतुल चौधरी (यू. टी. यू. सी.), ए. पी. चक्रवर्ती (टी. यू. सी. सी.) और ज्ञानसिंह (यू. टी. यू. सी.-एल. एस.)।

शिकायत में भारत सरकार द्वारा कनवेंशनों का अनुमोदन करने से इंकार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि सरकार उनके निर्माण में साझी थी। अतीत में अनेक शिकायतें थीं। सत्ता में आने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने न केवल मजदूरों व मेहनतकश जनता के सभी तबकों पर, जो अपने वेतन व रोजगार की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दमन तेज किया है बल्कि सभी ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों का तिरस्कार करते हुए अपने आपको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व अनिवार्य सेवा कानून जैसे घिनौने कानूनों (जिनमें बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने, सीधे-सीधे मुकदमा या बर्खास्तगी के प्रावधान हैं) से लैस कर रही है। सरकार की ऊंची-ऊंची घोषणाओं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा को बेनकाब करते हुए, शिकायत में एक सूची दी गई है जिसमें लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के सहित विभिन्न उद्योगों व राज्यों की ट्रेड यूनियनों के गिरफ्तार किए गए नेताओं व कार्यकर्ताओं के नाम दिए गए हैं। संसद सदस्य व सीटू की जनरल काउंसिल के सदस्य ए. के. राय तक को एमर्जेन्सी-दिनों के मीसा के समान इस कानून के तहत बंदी बनाया गया था।

शिकायत में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार सरकार ने संसद के अधिवेशन की पूर्व संध्या को अनिवार्य सेवा अध्यादेश लागू किया था। समूचे विपक्ष के सख्त प्रतिरोध को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए भारत सरकार ने लगभग सभी उद्योगों में हड़तालों पर रोक लगाने वाले अधिनायकवादी कदम का अनावरण किया। संचारमंत्री सी.एम. स्टीफन का बयान कि एस्मा एक दंडात्मक कानून है जिसमें हड़ताल की परिभाषा सजात्मक अपराध के रूप में की गयी है, सरकार के इरादों का सबूत है।

शिकायत में ऐसे उदाहरण भी दिए गए हैं जिनमें सरकार ने अपने ही कर्मचारियों को बिना किसी आंतरिक जांच या आत्म बचाव का कोई उचित अवसर दिए बिना सीधे-सीधे बर्खास्त करने में संविधान की धारा 311 (2) का भारी उल्लंघन किया है।

रेलवे मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों पर सीधे हमलों का सबूत राष्ट्रीय अभियान समिति ने रेलवे प्रशासन के गुप्त आंतरिक सरकुलरों की प्रतिलिपियां संलग्न करके दिया जिनमें बैठकों व प्रदर्शनों जैसी सर्वोच्च प्राथमिक ट्रेड यूनियन गतिविधियों तक पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

भारत सरकार द्वारा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार के उल्लंघन के ज्वलंत उदाहरण शिकायत में दिए गए हैं इनमें सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम, बंगलौर स्थित सार्वजनिक उद्योगों, भारत हैवी प्लेट वैसेल्ज के कर्मचारियों और लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के साथ किए गए समझौतों से एकतरफा पीछे हट जाना शामिल है। इन सभी उल्लंघनों ने देश में विस्फोटक स्थिति पैदा करती है, कभी कभी तो न्यायपालिका पर हमलों तक पहुंच जाती है जैसी कि जीवन बीमा निगम के मामले में देखा गया।

सार्वजनिक उद्योगों में सामूहिक सौदेबाजी को नकारने का सरकार का लक्ष्य इस द्वारा ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के निर्माण से बेनकाब हुआ जिसने द्विपक्षीय समझौतों को अपनी वीटो का शिकार बनाने के लिए मनमाने नियम थोप दिए।

राष्ट्रीय अभियान समिति ने शिकायत में मान्यता प्राप्त यूनियनों को मनमाने ढंग से अमान्य करने और अल्पसंख्यक इंटक यूनियनों को संरक्षण देने के मामलों को भी पेश किया है। डी. वी. सी. स्टाफ एसोसिएशन, कलकत्ता, जे.के. रेयान वर्कर्स यूनियन, कानपुर, माइको वर्कर्स यूनियन, बंगलौर, के मामले ही काफी चकाचौंध करने वाले हैं।

मजदूरों के संघर्षों का दमन करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में पुलिस व गुंडा तत्वों की मदद से मालिकान द्वारा मजदूरों पर सीधे हमलों में वृद्धि पर राष्ट्रीय अभियान समिति ने प्रकाश डाला है। पुलिस के साथ सांठ-गांठ करके मालिकान के गुंडों द्वारा मजदूरों पर नियमित व योजनाबद्ध हमलों, पुलिस गोलाबारी, पुलिस हिरासत में मजदूरों की हत्या, झूठे मामलों में फंसाकर मजदूरों को तंग करने, उनके घरों में आग लगाने तथा उनकी महिलाओं पर आपराधिक हमलों की असंख्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश व अन्य जगहों पर वारदातों को आई. एल. ओ. के नोटिस में लाया गया है।

राष्ट्रीय अभियान समिति ने आई. एल. ओ. का ध्यान इस तथ्य की ओर भी केंद्रित किया है कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा हाल में भेजी गयी शिकायतों के संबंध में भारत सरकार ने आई. एल. ओ. के पत्रों का जवाब तक देने की परवाह नहीं की है। इस साल संगठन की स्वतंत्रता पर कमेटी को भारत सरकार से जवाब भेजने की एक फिर अपील करनी पड़ी, जिसके प्राप्त न होने पर, आई. एल. ओ. के नियम के अनुसार, संबंधित कमेटी अपने ही विचार व्यक्त कर देगी।

मजदूरवर्ग के ऐसे दो बुनियादी अधिकारों के जबरदस्त उल्लंघन व उस पर आतंक व दमन ढाने के हालात में, राष्ट्रीय अभियान समिति ने आई. एल. ओ. से अनुरोध किया है कि वह लाखों मजदूरों के हित में देश में वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ दल भेजे।

(पुनश्चः सरकार ने अनिवार्य सेवा कानून लागू करके बिहार के अरक्षित अधिकारियों के, जो वेतन संशोधन समिति की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर हुए, संघर्ष को तोड़ने के लिए 10 हजार से भी ज्यादा मजदूरों को जेल में डाल दिया। —सं.)

सरकार की विलंबकारी नीतियों की निंदा

आई. एल. ओ. कनवेंशनों पर कमेटी के पिछले 28 नवंबर को नई दिल्ली में संपन्न 17वें अधिवेशन में भारत सरकार की विलंबकारी नीतियों की ट्रेड यूनियनों द्वारा एक बार फिर सख्त निंदा की गई। सरकारी प्रवक्ताओं द्वारा दिए गए टालमटोल वाले उत्तरों पर ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने अपना भारी असंतोष व्यक्त किया और फौरी कार्रवाई की मांग की यदि आई. एल. ओ. कनवेंशनों की गंभीरता से लेना है।

पिछली बैठक में परिवहन व जहाजरानी मंत्रालय ने विदेशों को जाने वाले जलयानों में कार्यरत नाविकों के बारे में विशेष जानकारी देने का वादा किया था। इस बैठक से पहले भी विस्तृत जानकारी नहीं दी जा सकी क्योंकि विदेशी जलयानों के एजेंट रिकार्ड नहीं रखते हैं। इन हालात पर ट्रेड यूनियनों ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया और मांग की कि मंत्रालय द्वारा स्पष्ट उत्तर दिया जाना चाहिए। भारतीय नाविकों को आई. एल. ओ. द्वारा निर्धारित वेतनों (पौंड 125 प्रति मास) की अदायगी के संबंध में सरकारी प्रवक्ता ने यह भय व्यक्त किया कि इससे नाविकों की बेरोजगारी बढ़ेगी। मौजूदा वेतन पौंड 61 प्रतिमास है जो आई. एल. ओ. स्तर से काफी नीचे है। सीटू प्रतिनिधि ने यह नोट किया कि नेशनल मेरी टाइम बोर्ड के समझौते के साथ नाविकों को बाध्य नहीं माना जा सकता क्योंकि यह आई. एल. ओ. स्तर से नीचे है। कनवेंशन पर कमेटी की आगामी बैठक में विस्तृत जानकारी देना सरकार ने स्वीकार किया।

एक मजदूर द्वारा शारीरिक तौर पर उठाए जाने वाले अधिकतम भार के बारे में सरकारी ज्ञापन ने 75 किलोग्राम वजन को अंतरिम कदम मानने का सुझाव दिया। लेकिन ट्रेड यूनियनों ने जोर दिया कि इसे आई. एल. ओ. स्तर के अनुसार 50 किलोग्राम किया जाना चाहिए। कामर्स विभाग के निरर्थक तर्क को कि उपयुक्त बोरे नहीं बनाए जा सकते भारतीय मानक संस्थान के नोट ने अस्वीकृत कर दिया क्योंकि इसमें कहा गया था कि यह संभव है। क्योंकि ज्यादा वजन को जारी रखने को जायज ठहराने के लिए कोई तर्क नहीं मिला, सरकार को 50 किलोग्राम वजन को जल्दी ही लागू करना स्वीकारना पड़ा।

भारत सरकार ने बैठक में सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम स्तर से संबंधित आई. एल. ओ. कनवेंशन (नंबर 102) का अनुमोदन करने का अपना प्रस्ताव पेश किया। ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव का [illegible]रण के लिए सरकार के इस दावे को लें कि डी. एस. आई. हस्पतालों में ऐसी सुविधाएं शामिल हैं जैसे "बनावटी अंगों का प्रावधान, पहियों वाली कुर्सी, स्पाइनल सपोर्ट्स, सर्जीकल कालर, वार्किंग कैलिप्पर्स, सर्जीकल बूट्स, क्रचिज आदि साथ ही कार्डियाक पेस मेकर्स व गुर्दे लगाने व डाएलिसिस के लिए सुविधाएं"। ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने यह स्पष्ट किया कि प्राथमिक दवाएं तक ई. एस. आई. दवाखानों में उपलब्ध नहीं हैं। हड़तालों व तालाबंदी के दौरान छुट्टी सुविधाओं को वापस लेने के कथित प्रस्ताव पर भी ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने आई. एल. ओ. स्तर की जरूरियात को पूरा करने के लिए ई.एस.ई. चिकित्सा सुविधाओं में भारी सुधार करने की मांग की।

त्रिपक्षीय परामर्श (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गतिविधियां) पर सिफारिश (नंबर 152) के बारे में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि परामर्श का मौजूदा तरीका केवल औपचारिक है न कि वास्तविक। उन्होंने मांग की कि भविष्य में केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ परामर्श उपयुक्त व वास्तविक होना चाहिए और उन द्वारा दिए गए सुझाव पर सही विचार होना चाहिए। आई. एल. ओ. को सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट ट्रेड यूनियनों को भी दी जानी चाहिए। उन्होंने संकेत किया कि केवल सेंट्रल बोर्ड आफ वर्कर्स एजुकेशन के कार्यक्रम में आई. एल. ओ. गतिविधियों के बारे में सूचना शामिल करने से आई. एल. ओ. की गतिविधियों के बारे में बेहतर जानकारी की वृद्धि में सहायता नहीं मिलेगी।

श्रम मंत्रालय द्वारा वृद्ध मजदूरों से संबंधित सिफारिश (नं. 162) पर प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में तैयार किए गए ज्ञापन पर विचार नहीं हो सका, क्योंकि इसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को बैठक के पूर्व संध्या को दी गई थी।

ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एड्वाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीच्यूट्स (डी. जी. एफ. ए. एस. एल. आई,) द्वारा पिछली अक्तूबर में आयोजित बैठक में हुई बहस के बारे में सवाल उठाए। बैठक की रिपोर्ट इस बैठक में पेश नहीं की गयी थी। ट्रेड यूनियनों ने मांग की कि ट्रेड यूनियनों द्वारा दिए गए सुझावों पर कनवेंशन कमेटी की आगामी बैठक में विचार किया जाना चाहिए।

सीटू की ओर से कामरेड एम. के. पंधे ने बैठक में भाग लिया। ☐

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों व कर्मचारियों का संघर्ष

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने राव तुलाराम कालेज के प्राध्यापकों व कर्मचारियों के पिछले एक साल के बकाया वेतन, सेवासुरक्षा, विक्टिमाइज किए गए प्राध्यापकों की बहाली व अन्य मांगों के समर्थन में 10 से 17 दिसंबर तक संपूर्ण हड़ताल की। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरुण बोस ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि कोई समझौता तुरंत नहीं किया गया तो वर्तमान सैशन के तीसरे भाग में वे हड़ताल करेंगे।

दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कालेज कर्मचारी यूनियन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के कर्मचारी लंबे अरसे से चली आ रही अपनी मांगों के समर्थन में तथा कीमत वृद्धि व सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ 23 नवंबर को मजदूरों की रैली में भाग लेने के लिए एक दिन का वेतन काट लिए जाने के खिलाफ संघर्षरत हैं। उन्होंने 19 दिसंबर को विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव काउंसिल के समक्ष प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया व 13 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। इस कार्यवाही के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ☐

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सरकार पर दोषारोपण

संगठन की स्वतंत्रता पर कमेटी ने अपनी 211वीं रिपोर्ट में भारत सरकार पर इस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) की संगठन की स्वतन्त्रता तथा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर क्रमश: कनवेंशन नं. 87 व 98 के उल्लंघन के लिए गम्भीर दोषारोपण किया है। आई एल ओ की गवर्निंग बाडी ने रिपोर्ट को नवम्बर 1981 में अपना लिया था। कमेटी की रिपोर्ट सीटू द्वारा दायर की गई डी वी सी श्रमिक यूनियन (सीटू), आल इंडिया बोर्डर रोड आर्गेनाइजेशन एंप्लाईज एसोसिएशन तथा आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के मुद्दों पर शिकायतों के सम्बन्ध में थी।

डी. वी. सी. श्रमिक यूनियन पर

कमेटी ने सरकार का ध्यानाकर्षण किया कि यूनियन के सात नेताओं की उन द्वारा जुलाई, अगस्त व सितम्बर 1980 में औद्योगिक कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए की गई मुअत्तिली ने इस सिद्धान्त का उल्लंघन किया है कि मजदूरों को उनके रोजगार में यूनियन विरोधी भेदभाव की कार्रवाइयों के खिलाफ उचित संरक्षण मिलना चाहिए। इसने सरकार को सात यूनियन कार्यकर्त्ताओं की मुअत्तिली को खत्म करने के लिए कहा।

"जानकार या संदिग्ध" आंदोलनकारियों की कार्य सूची बनाने व उन पर निगाह रखने के आदेश के बारे में कमेटी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता व सुरक्षा और यूनियन अहाते, पत्रव्यवहार व टेलीफोन वार्ताओं की अनुल्लंघनीयता के अधिकार को बरकरार रखा।

प्रबंधकों द्वारा एक यूनियन के सदस्यों के साथ समर्थनात्मक व्यवहार करने के बारे में कमेटी ने सरकार पर एक संगठन को लाभजनक स्थिति में रखने और मजदूरों को संगठन के चयन में जिसका वे सदस्य बनना चाहते हैं प्रभावित करने का दोष लगाया।

इश्तहार लगाने व सभाएं आयोजित करने पर रोक लगाने के खिलाफ शिकायत के संबंध में कमेटी ने सरकार का ध्यान ट्रेड यूनियन अधिकारों के आम इस्तेमाल के लिए सभा की स्वतंत्रता व सूचना देने की स्वतंत्रता की अनिवार्यता की ओर दिलाया।

डी वी सी के नियम के बारे में जो संस्थान के क्षेत्र के अंदर यूनियन चंदा इकट्ठा करने पर रोक लगाता है, कमेटी ने सरकार को कहा कि वह इस नियम को ट्रेड यूनियनों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए सुविधाएं देने और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों को संस्थान के अहाते में ऐसा करने के लिए अधिकृत करने से संबंधित आई एल ओ की सिफारिश नं. 143 के अनुसार बनाए।

आल इंडिया बोर्डर रोडस एंप्लाईज एसोसिएशन पर

सरकार ने स्वयं ही संसद में 18 जून 1980 को यह स्वीकार किया है कि बोर्डर रोड्स आर्गेनाइजेशन एक सिविलियन कंस्ट्रक्शन बल है। इस बात को गोहाटी हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है, लेकिन कर्मचारियों पर यूनियन बनाने के कारण बर्बर दमन ढाया गया था। अधिकारी यूनियन अहाते में घुस गए, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त कर लिया और कोष को जाम कर दिया। छ: पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा बुरी तरह पीटा गया। उसके बाद 335 कर्मचारियों को गिरफ्तार करके युद्ध कोठड़ियों में बंद कर दिया गया तथा मिलिट्री द्वारा उनके परिवारों को आतंकित किया गया। पदाधिकारियों का कोर्ट मार्शल किया गया तथा जेल में डाल दिया गया। बाद में 850 कर्मचारियों पर जुर्माना कर दिया गया। अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ जिन्हें भूमिगत हो जाना पड़ा वारंट जारी किए गए।

आई एल ओ कमेटी ने भारत सरकार को उपरोक्त सभी विशिष्ट आरोपों के जवाब देने में नाकामयाब होने के लिए दोषी ठहराया है और गवर्निंग बाडी से सिफारिश की है कि वह सरकार से जवाब तलब करे।

आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन पर

सीटू ने 3 फरवरी 1981 को दायर अपनी शिकायत में कहा है कि भारत सरकार ने लोकोमोटिव कर्मचारियों को आठ घंटे कार्य की मांग पर उनके आंदोलन पर रंज होकर भारी संख्या में गिरफ्तार और बर्खास्त किया है। इसने शिकायत समिति (ग्रीवैंस कमेटी) को भंग किया और इस प्रकार संगठन की स्वतंत्रता व सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को कुचल दिया।

कमेटी ने नोट किया कि हड़तालियों की गिरफ्तारियां व बर्खास्तगी में संगठन की स्वतंत्रता को गंभीर खतरा निहित है और मजदूरों द्वारा हड़ताल के अधिकार को अपने व्यावसायिक हितों की सुरक्षा के कानूनी साधन के रूप में मान्यता की महत्ता पर जोर दिया। कमेटी ने सरकार से कहा कि वह यह विस्तृत जानकारी दे कि क्या कोई व्यक्ति अभी भी गिरफ्तार है या कोई बहाली की गई है। सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को बरकरार रखने के लिए कमेटी ने ग्रीवैंस कमेटी की पुनर्रचना की सिफारिश की। □

पंजाब में ट्रेड यूनियन स्कूल

सीटू की पंजाब राज्य कमेटी द्वारा राजपुरा में 7 से 11 नवंबर को ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं के लिए पांच दिवसीय निवासीय स्कूल आयोजित किया गया। पंजाब में ट्रेड यूनियन आंदोलन की वृद्धि जिसमें सैकड़ों युवा मजदूर शामिल हुए हैं, ने उनके प्रशिक्षण की जरूरत पैदा की थी। एक कामगार महिला सहित 45 मजदूरों ने इसमें भाग लिया। मजदूरों को इसमें अविभाजित ध्यान देने के लिए लैस करने के लिए स्कूल को समीपवर्ती के गांव बोघलान में आयोजित किया गया। ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित विभिन्न विषयों पर एम. के. पंधे, जे. एस. लायलपुरी, भागसिंह सज्जन तथा नृसिंह चक्रवर्ती ने इसमें भाषण दिए। □

एस्मा व देखते ही गोली मारने के आदेशों के बावजूद

बिहार में अराजपत्रित अधिकारियों की सफल हड़ताल

बिहार सरकार द्वारा अनिवार्य सेवा कानून (एस्मा) लागू करने तथा देखते ही गोली मारने के आदेशों की परवाह न करते हुए बिहार के छः लाख अराजपत्रित कर्मचारियों तथा अध्यापकों ने 11 दिसंबर से अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी और 20 दिसंबर को उन्हें विजय प्राप्त हुई।

बिहार राज्य सरकार कर्मचारियों, अफसरों और अध्यापकों को कोआर्डिनेशन कमेटी ने चौथी वेतन संशोधन कमेटी की सिफारिशों को फरवरी 1978 से लागू करने की मांग करते हुए हड़ताल का आह्वान किया था। राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य, इसकी संपत्ति व उत्तरदायित्व को सावधानी से मद्देनजर रखते हुए कमेटी ने सिफारिश की कि सरकार 170 करोड़ रुपये की राशि की अदायगी कर सकती है। समझौतावार्ता के दौरान अराजपत्रित कर्मचारियों की फेडरेशन ने पहले दो सालों के बकाया को छोड़ना स्वीकार कर लिया जिससे बोझ मात्र 29.24 क० रुपये ही रह गया। लेकिन जनता को कर्मचारियों से भिड़ाने के लिए सरकार ने जानबूझकर इस राशि को बढ़ाचढ़ाकर यह असत्य फैलाया कि सिफारिशों को लागू करने में 270 करोड़ रुपये खर्च होगा।

सरकार का बदले की भावना का रवैया उस समय अभूतपूर्व हो गया जब इसने एस्मा को लागू किया और अपने ही कर्मचारियों पर देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया। लगभग 12,000 कर्मचारियों व अध्यापकों को गिरफ्तार कर लिया गया और हजारों को बर्खास्त कर दिया गया। जनवादी प्रक्रिया को धराशायी करने की सभी सीमाएं उस समय लांघ दी गयीं जब केंद्र ने अभूतपूर्व कदम उठाकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस व बोर्डर सैक्योरिटी फोर्स को बिहार सरकार की सहायता के लिए भेजा।

लेकिन बहादुर हड़ताली कर्मचारियों को पुलिस बल दिखाकर झुकाया नहीं जा सका। हड़ताल पूरी रही। समूचा राज्य प्रशासन हर स्तर पर पूरी तरह ठप्प रहा। स्कूलों में कार्य रुक गया और जिलों में आपसी संचार बंद हो गया। कानूनी अदालतें कार्य नहीं कर सकीं और बिजली व पानी की सप्लाई कट गयी। यहां तक कि हस्पतालों पर भी असर पड़ा क्योंकि नर्सों ने भी हड़ताल का समर्थन किया।

पुलिस द्वारा भारी तादात में गिरफ्तारियां उस समय मजाक बन गई जब हड़तालो कर्मचारी जेलों को भरने के लिए स्वयं आगे आए। गिरफ्तार किए गए महिलाओं सहित सैकड़ों कर्मचारियों को बिहार में बुक्सार व अन्य जेलों से जगह की कमी के कारण पटना भेज देना पड़ा। उन्हें मजदूरों के अन्य सभी तबकों से तथा ट्रेड-यूनियनों से समर्थन मिला। राज्य के सभी हिस्सों में गांवों तक में भारी सभाएं दिखाई पड़ने लगीं।

सीटू के अध्यक्ष बी.टी. रणदिवे ने एक प्रैस वक्तव्य में बिहार सरकार को उदंडता की निंदा की। सीटू की बिहार राज्य कमेटी ने सरकार द्वारा बल का इस्तेमाल किए जाने की भर्त्सना की। आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एंप्लाईज फैडरेशन ने हड़ताली कर्मचारियों के साथ एकजुटता का इजहार किया।

अंततः मजदूरों की दृढ़ एकता ने बिहार सरकार को दस दिन के राज्य ठप्प के बाद समझौता करने के लिए विवश कर दिया। सरकार को कर्मचारियों की मांगें स्वीकार करने के लिए अपने फालतू राजस्व में से 29.24 करोड़ रुपये निकालने पड़े। इसे बर्खास्त किए गए सभी कर्मचारियों को बहाल करना पड़ा और सभी गिरफ्तार किए गए 12.000 कर्मचारियों को रिहा करना पड़ा। हड़ताल के दौरान के समय को छुट्टी से व्यवस्थित करना तय हुआ। और यह तथ्य कि सभी पुलिस केसों को वापिस लिया गया उनके झूठे व मनगढ़ंत होने का सबूत है।

बिहार सरकार के कर्मचारियों व अध्यापकों के गौरवमयी संघर्ष से समूचे देश के सरकारी कर्मचारियों के सभी तबकों को तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के सभी औद्योगिक मजदूरों को 19 जनवरी को पहली देशव्यापी हड़ताल में भाग लेने के लिए अपनी कमर कस लेने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। बहादुर सरकारी कर्मचारियों ने खासतौर से

(शेष पृष्ठ आठ पर)

बिहार अराजपत्रित अधिकारियों पर दमन की सीटू द्वारा निंदा

सीटू के अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 15 दिसंबर को यह बयान जारी किया :

बिहार सरकार द्वारा नियुक्त वेतन कमेटी द्वारा कर्मचारियों को दी गई मामूली राहत को मनवाने के लिए संघर्ष का बर्बरता से दमन करने के लिए बिहार सरकार द्वारा एक हजार से भी ज्यादा कर्मचारियों की अनियंत्रित बर्खास्तगी व अन्य दमनात्मक कदमों की सीटू निंदा करती है। मांगों के औचित्य पर कोई सवाल ही नहीं उठता, चौथी वेतन संशोधन कमेटी ने 320 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960—100) पर न्यूनतम वेतन 350 रुपये तय किया है जोकि न केवल 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन के स्तर से नीचे है बल्कि सार्वजनिक उद्योगों में मौजूद वेतनों से भी कम है। कमेटी ने इस बात को मद्देनजर रखा कि 1974-75 से अतिरिक्त राजस्व उपलब्ध है और संशोधित वेतनमान को एक फरवरी 1978 से कार्यान्वित किया जाए जिसे सरकार अदा सकती है। एक छोटे से तबके को छोड़कर जो कमेटी के समक्ष विचारार्थ नहीं था बिहार सरकार ने इन सिफारिशों को मानने से इन्कार कर दिया और इन तरह सरकारी कर्मचारियों की एकता में दरार पैदा करने की कोशिश की। ये कोशिशें नाकामयाब हो गईं और सरकारी स्कूलों व कालेजों के अध्यापक भी अब संघर्ष में शामिल हो गए हैं।

उन लोगों को जो काम पर जाएंगे दोगुने वेतन देने की श्रमविरोधी नीति की सीटू निंदा करती है। यह दिखाता है कि हड़ताल संपूर्ण है और सरकार ने बातचीत द्वारा समझौता करने की बजाए इस संघर्ष के फलस्वरूप जनता की पीड़ाओं के प्रति जबरदस्त लापरवाही दिखाते हुए रिश्वतखोरी व बर्बर दमन का रास्ता अपनाया है।

सीटू बिहार के संघर्षरत अराजपत्रित अधिकारियों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करती है और सरकार का संघर्ष के नेताओं के साथ समझौते करने के लिए तुरंत बातचीत करने का आह्वान करती है। सीटू सभी ट्रेड यूनियन केन्द्रों व जनवादी जन संगठनों से बिहार सरकार द्वारा अपने ही कर्मचारियों पर बर्बर दमन करने के खिलाफ प्रतिरोध आजाज बुलंद करने की अपील करती है। □

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा फैक्ट्री कानून के कार्यचालन की निंदा

डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एड्वाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीच्यूट (डी जी एफ ए एस एल आई) द्वारा बंबई में 16 अक्तूबर 1981 को आयोजित एक बैठक में ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर फैक्ट्री कानून के प्रशासन की तीखी निंदा की।

डायरेक्टोरेट ने दशाब्दियों से फैक्ट्री कानून के प्रशासन पर विचार करने के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की कोई बैठक नहीं बुलायी जिसके कारण इस सवाल पर अपने विचार व्यक्त करने का कोई मौका नहीं मिला। आई एल ओ कनवेंशन कमेटी की बैठक के अध्यक्ष द्वारा पिछले अधिवेशन में आश्वासन दिए जाने के बाद ही डी जी एफ ए एस एल आई ने यह बैठक बुलाई थी।

ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने इसकी ओर इशारा किया कि फैक्ट्री कानून के तहत निरीक्षण मात्र दिखावा बन गया है। आमतौर पर इंस्पैक्टर कंपनी के गैस्ट हाउस में रहते हैं और वे फैक्ट्री का दौरा पर-स्नैल विभाग के मुखिया के साथ करते हैं जिसके फलस्वरूप वास्तविक स्थिति प्रकाश में नहीं आती। ट्रेड यूनियनों ने यह मांग की फैक्ट्री इंस्पैक्टर फैक्ट्री का दौरा ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ करें ताकि अनियमितताओं को ठीक तरह से पहचाना जा सके।

यह भी कहा गया कि कानून के उल्लंघन के लिए प्रबंधकों पर कानूनी कार्यवाही करने की कानून के तहत फैक्ट्री इंस्पैक्टर को दी गई शक्ति ट्रेड यूनियनों को भी दी जानी चाहिए। मौजूदा फैक्ट्री से उल्लंकरने वाले मालिकान पर कोई असर नहीं पड़ता है। कभी-कभी तो कानून को लागू करने की बजाए जुर्माना देना कहीं ज्यादा सस्ता होता है। अगर प्रबंधकों द्वारा कानून को गंभीरता से लिया जाना है तो मौजूदा जुर्माना अधिकतम रुपये 1,000 से बढ़ाकर रु. 5,000 या रु. 10,000 तक कर दिया जाना चाहिए। कानूनी प्रावधान के बावजूद शायद ही कभी प्रबंधकों को जेल भेजा जाता हो। पहले उल्लंघन के बाद जेल भेजना अनिवार्य होना चाहिए।

ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि मजदूरों के फैक्ट्री इंस्पैक्टर का प्रावधान फैक्ट्री कानून में किया जाए ताकि कानून के लागू होने का उचित निरीक्षण किया जा सके और उल्लंघन के मामले भी काफी कम हो जाएंगे। इसी प्रकार के प्रस्ताव खदान कानून के तहत पहले ही विचाराधीन हैं।

ट्रेड यूनियनों ने मांग की कि कानून को छोटी यूनिटों में भी लागू किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मजदूर इसके तहत आएं। इस समय कई फैक्ट्रियों को छोटी-छोटी यूनिटों में तोड़ दिया जाता है ताकि कानून को लागू करने से बचाया जा सके। अनेक ठेका मजदूर, फैक्ट्री निर्माण मजदूर, कैंटीन मजदूर भी फैक्ट्री कानून के तहत नहीं आते हैं। ट्रेड यूनियनों ने सुझाव दिया कि इसलिए यह जरूरी है कि फैक्ट्री कानून को बृहत्तर बनाया जाए जैसा कि यू. के. में है।

कई मजदूरों को साप्ताहिक सवेतन छुट्टी नहीं मिलती है। अनेक मजदूरों को अन्य छुट्टियों की सुविधाएं भी नहीं हैं। सभी मजदूरों को छुट्टी की सुविधाएं देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सवेतन छुट्टी की प्राप्ति के लिए 240 दिन कार्य की पूर्व शर्त को खत्म कर देना चाहिए और मजदूरों को छुट्टी सुविधाएं दी जानी चाहिए चाहे वे एक फैक्ट्री में कितने भी समय काम क्यों न करें। बीस दिनों के कार्य के बाद एक दिन की सवेतन छुट्टी के मौजूदा प्रावधान को 14 दिन के कार्य के बाद एक दिन की छुट्टी के प्रावधान में बदल दिया जाना चाहिए। ट्रेड यूनियनों ने फिर यह मांग की कि श्वेत व नीले कालर वाले मजदूरों के बीच छुट्टी के मामले में अंतर खत्म किया जाना चाहिए और शारीरिक मजदूरों के लिए छुट्टी सुविधाओं को बढ़ाकर एक समान छुट्टी सुविधा लागू की जाए।

छुट्टी सुविधाओं के एवज में पैसा लेने का एक प्रस्ताव पेश किया गया। ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने छुट्टी सुविधा के एवज में पैसा लेने के सिद्धांत का विरोध किया क्योंकि चाहे जो भी छुट्टियां दी जाएं उनका इस्तेमाल मजदूरों द्वारा अपना उचित स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने छुट्टियों को और आगे इकट्ठा करने की सुविधा का सुझाव दिया।

ओवरटाइम की अदायगी के बारे में ट्रेड यूनियनों ने कानून के तहत दी गई सीमाओं से ज्यादा ओवरटाइम के इस्तेमाल का विरोध किया। राज्य सरकारों को इससे छुटकारे की जो शक्तियां दी गई हैं उनका अक्सर गलत इस्तेमाल किया जाता है और सरकार को दी गई शक्तियों की सीमा होनी चाहिए। ओवरटाइम के प्रावधान का प्राय गलत इस्तेमाल किया जाता है और इसे खत्म करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने संकेत किया कि ओवरटाइम पर नियंत्रण रखने से रोजगार में वृद्धि होगी।

अनेक फैक्ट्रियों में कल्याण सुविधाओं के प्रावधान केवल कागज प ही रहते हैं। पीने का पानी व महिलाओं के लिए शौचालय जैसी प्राथमिक सुविधाएं आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती। कमजोर महिलाओं क सहायता के लिए उन फैक्ट्रियों में जिनमें 30 से ज्यादा महिलाएं का करती हैं केंद्रीय शिशुगृह प्रणाली लागू की जा सकती हैं। मौजूदा शिशुगृ पद्धति में प्राथमिक सुविधाएं नहीं मिलती और अनेक शिशुगृहों में आ के प्रावधान की अनुपस्थिति में कई कामगार महिलाएं शिशुगृहों क इस्तेमाल करना पसंद नहीं करतीं।

ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने व्यावसायिक बीमारियों के सवाल फैक्ट्रियों के प्रबंधकों की गैरजिम्मेदाराना भूमिका की कड़ी निंदा और इस पर जोर दिया कि फैक्ट्री कानून के तहत उन विभागों जिनमें व्यावसायिक बीमारियों के खतरे होते हैं सुरक्षात्मक कदमों प्रावधान हो और उन पर जोर दिया जाए। उन मजदूरों को जो व्यासायिक बीमारियों के शिकार होते हैं, जीविका के जरूरी स्रोत आश्वासन दिया जाए।

फैक्ट्री कानून को लागू करने के सवाल पर ट्रेड यूनियनों के कोई विचार विमर्श ने करने की ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने सख्त आचना की। उन्होंने कानून कार्यचालक की नियमित समय पर ट्रेड यूनि द्वारा समीक्षा की जरूरत पर जोर दिया ताकि कानून में जरूरी सुध को शामिल किया जा सके।

(शेष पृष्ठ आठ

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा सत्यापन का नया तरीका अस्वीकृत

अक्तूबर 1981 में केंद्रीय श्रम मंत्री द्वारा इंटक को छोड़ कर अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ अनौपचारिक बातचीत की पूर्व संध्या को भारत सरकार ने "केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की सदस्यता के परिकलन" विषय पर एक सरकुलर जारी किया जिसमें निम्नलिखित नई धारा के साथ सत्यापन के पुराने तरीके को दोहराया गया है :

"अगर कोई संगठन अपनी अभियाचित सदस्यता सूची को दायर करने में असफल होता है तो उस संगठन से संबंधित अभियाचित सूची ड यूनियनों के रजिस्ट्रार के रिकार्ड से तैयार की जाए और सभी संगनों में वितरित की जाए।"

उपरोक्त संगठन ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा दायर की गयी या उपक्त तरीके से तैयार की गयी अभियाचित सूची के खिलाफ आपत्ति ठाने की हकदार नहीं होंगे।

इस मुद्दे को सभी ट्रेड यूनियन केंद्रों ने केंद्रीय श्रम मंत्री के साथ चार विमर्श के दौरान उठाया था और उन्होंने इस मुद्दे को तय करने लिए एक संयुक्त बैठक बुलाना स्वीकार किया था। लेकिन मुख्य मायुक्त (केंद्रीय) ने अपनी 27 नवंबर के एक सरकुलर में सभी केंद्रीय ड यूनियन संगठनों से कहा कि ये 31 दिसंबर 1980 को खत्म होने ले साल के लिए सदस्यता के अपने दावे 31 दिसंबर 1981 को या ससे पहले दायर कर दें।

ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति की 4 दिसंबर को संपन्न ठक में जिसमें सीटू, एटक, एच एम एस, बी एम एस, इंटक (दारा), टी यू सी, यू टी यू सी (एल एस) व टी यू सी सी के प्रतिनिधियों ने ग लिया (सीटू का प्रतिनिधित्व एम के पंधे व नृसिंह चक्रवर्ती ने या), यह फैसला किया गया कि जब तक नियमों में विवादास्पद वों के मामलों में गुप्त मतदान कराने का प्रावधान नहीं किया जाता सत्यापन तरीके को अस्वीकृत करते हुए एक संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र खा जाएगा।

मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) को उनके पत्र संख्या 35 (2) वी एफ तिथि 27-11-1980 का हवाला देते हुए इन सब संगठनों के प्रतिधियों ने संयुक्त हस्ताक्षरित जो पत्र भेजा है उसे नीचे प्रकाशित किया रहा है :

"हमने आपका उपरोक्त पत्र ध्यान से पढ़ा है 'जिसमें राष्ट्रीय त्रिपय संस्थाओं आदि में प्रतिनिधित्व देने के कार्य' के लिए केंद्रीय ट्रेड नियन संगठनों से संबद्ध ट्रेड यूनियनों की सदस्यता के सत्यापन कार्य के कार के फैसले की सूचना दी गयी है।"

आपके पत्र के पैराग्राफ में यह नोट करके हमें आश्चर्य हुआ है कि मने लिखा है कि :

'इन संगठनों के बीच व्यक्त विचारों में भिन्नता को मद्देनजर रखते और इसे ध्यान में रखते हुए कि लंबी वार्ता पहले ही हो चुकी है **संगठनों ने इस मामले पर फैसला सरकार के ऊपर छोड़ दिया है'।**

ीर हमारा)

यह बिलकुल गलत है। हमारे संगठनों ने **सेक्रेटेरियल** स्तर पर हुई र्ी में यह साफ कर दिया था कि विभिन्न संगठनों की सदस्यता पता लगाने के लिए गुप्त मतदान की प्रणाली सबसे ज्यादा कारगर होगी। केवल एक ही संगठन ऐसा था जो इस नजरिये से सहमत नहीं था जिस का नाम है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस-आई—जो इस विषय पर अंतिम फैसला सरकार पर छोड़ने को तैयार था। यह बहुत ही निंदनीय बात है कि आप एक अकेले संगठन के विचारों को **सभी** संगठनों का विचार बताएं। हम यह भी बता दें कि उसके बाद सरकारी स्तर पर सभी संगठनों से विचार विमर्श के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए।

संशोधित तरीके के संबंध में हमने अपने-अपने विचार उस समय स्पष्ट कर दिए थे जब श्रममंत्री ने हमको बातचीत के लिए अलग-अलग बुलाया था कि हम संशोधित तरीके को मान सकते हैं बशर्ते कि दावा की गई सदस्यता पर आपत्ति के सभी मामलों में विवाद को हल करने के लिए गुप्त मतदान का तरीका अपनाया जाए। मंत्री के साथ बातचीत से हमें लगा कि इस मुद्दे पर वह सभी केंद्रीय संगठनों से संयुक्त वार्ता करेंगे।

हम इसे समझ नहीं पा रहे कि संयुक्त वार्ता किए बिना सरकार ने ऐसा कदम उठाने का फैसला कैसे किया।" □

शांति पर विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन

शांति तथा निरस्त्रीकरण के सामाजिक व आर्थिक पहलुओं पर एक विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन पेरिस में 15 से 17 दिसंबर को संपन्न हुआ।

सीटू की पंजाब राज्य कमेटी के अध्यक्ष जगजीत सिंह लायलपुरी ने सीटू की ओर से सम्मेलन में भाग लिया। □

बिहार के अराजपत्रित अधिकारी...

(पृष्ठ छः से आगे)

यह दिखा दिया है कि अधिनायकवादी कांग्रेस (आई) सरकार को मजदूरों की मांगें मानने के लिए, झुकाने के लिए एकता क्या कुछ कर सकती है। बुर्जुआ समाचारपत्रों द्वारा दस दिन के गौरवमयी संघर्ष की खबरों का दमन नहीं किया जा सका। जगन्नाथ मिश्रा सरकार की बदनाम पराजय ने अपने इस सिद्धांत को कि—19 जनवरी को मजदूरों द्वारा इंदिरा निजाम को अपनी श्रम विरोधी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर किया जाएगा—देश के चारों कोनों में पहुंचा दिया है। □

फैक्ट्री कानून के कार्यचालन की निंदा

(पृष्ठ सात से आगे)

फैक्ट्री कानून व इसकी प्रशासनात्मक मशीनरी के कार्यचालन की आलोचना के बारे में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों में एकमत था।

ट्रेड यूनियनों के सुझावों के भारत सरकार के पास विचारार्थ भेजने के लिए एफ ए एस एल आई के डायरेक्टर जनरल सहमत हुए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वह इन सुझावों पर विभिन्न राज्यों के फैक्ट्रियों के मुख्य इंस्पैक्टरों के साथ बातचीत करेंगे।

सीटू की ओर से एम. के. पंधे ने बैठक में भाग लिया। □

मुद्रण उद्योग में स्वचालन खत्म करने की सीटू द्वारा मांग

(श्री एन डी तिवारी के नाम 13 दिसंबर को लिखे गए एक पत्र में सीटू ने राष्ट्रीय त्रिपक्षीय मंच के तुरंत निर्माण की मांग की है जिसके बनने तक फोटो टाइप सैटिंग के लिए दिए गए सभी लाइसेंसों को रद्द किया जाए या उन्हें निलंबित कर दिया जाए। पत्र व ज्ञापन के कुछ अंश नीचे प्रकाशित किए जा रहे हैं—सं)

रोजगार खत्म करने का विशाल यंत्र

देश में रोजगार उत्पत्ति पर इस फोटो टाइप सैटिंग तकनीकी के विनाशकारी प्रभाव पड़ेंगे जैसा कि निम्नलिखित से जाहिर है :

(क) श्री वी. एन. एन. चुब्रा, प्राडक्शन डायरेक्टर, 'दि स्टेट्समैन', नयी दिल्ली कहते हैं कि

"मध्यम-साइज की एक मशीन के लिए जो एक मिनट में 400 से 500 समाचार-कालम-लाइन तैयार कर सकती है, केवल एक आपरेटर की जरूरत होगी और वह भारत में बहुसंख्यक समाचार-पत्रों के समूचे विषय को कंपोज कर सकती हैं और इसके बाद भी उसकी क्षमता बकाया रह जाएगी।" (आई एल ओ रिपोर्ट 3, पृष्ठ 14)।

(ख) नार्म्स कमेटी की रिपोर्ट के पैरा 6.3 में कहा गया है कि "जहां लाइनो टाइप आपरेटर एक घंटे में 5,000 से 6,000 अक्षर कंपोज कर सकता है वहां उतने ही समय में पंच टेप के साथ एक आम फिल्म सैटर 30,000 अक्षर कंपोज कर सकता है। डिजीटल कंप्यूटर वाला अति आधुनिक फिल्म सैटर एक घंटे में एक लाख या उससे भी ज्यादा अक्षर कंपोज कर सकता है।" भारत सरकार के मुद्रणालयों के कर्मचारियों के भय को खत्म करने के लिए यह भारी अवमूल्यांकन किया गया है। वास्तव में कंप्यूटरयुक्त फिल्मसैटिंग मशीन एक घंटे में 80 लाख अक्षर कंपोज कर सकती है। जिस गति से यह काम करती है वह बहुत ही जबरदस्त है। "एक बड़े समाचार पत्र के काले-सफेद विभाग में एक अकेले पृष्ठ के पूरे विषय को एक हस्त कंपोजीटर 22 घंटों में कंपोज करेगा, एक मशीन आपरेटर 5.5 घंटों में करेगा, एक टेली-टाइप सैटर 1.3 घंटे लेगा। पढ़ने वाली शक्ल में एक बार विषय मशीन के पास उपलब्ध हो तो इसकी इलेक्ट्रानिकली नियंत्रित फिल्म सैटिंग मशीन को ठीक 15 सेकंड लगते हैं।" (आई एल ओ रिपोर्ट 2, पृष्ठ-7)

(ग) स्टेट्समैन एंप्लाईज यूनियन द्वारा प्रकाशित एक पर्चे के अनुसार "कैथोड-रे-ट्यूब कंप्यूटेशन से पांच लाख अक्षरों की ब्रह्मांडीय संख्या प्रति मिनट कालम फारमैट में छप जाती है।"

इन सबसे यह पता चलता है कि नई फोटो टाइप सैटिंग तकनीकी रोजगार खत्म करने का एक विशाल यंत्र है। स्टेट्समैन एंप्लाईज यूनियन के अनुसार जिस काम को अब 2,400 कर्मचारी कर रहे है उसके लिए केवल 360 कर्मचारियों की जरूरत होगी। संवाददाताओं को गैली फारमैट में अपनी रिपोर्टें टाइप करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, इससे स्टाफ की जरूरत और भी कम हो जाएगी। हम सबके सामने 'दि हिंदू' का उदाहरण है। विकसित पूंजीवादी देशों का अनुभव भी हमारे समक्ष है। फेडरल रिपब्लिक जर्मनी व अप्रेंटिसों की भर्ती 1962 में 20,677 से गिरकर 1976 में 9,527 हो गयी, स्विट्जरलैंड में यह 1968 में 4,653 से 1979 में 2,062 हो गयी और यूनाइटेड किंगडम में यह 1970 में 33,900 से 1980 में 18,000 हो गयी।

मजदूरों को पहले ही निकाल दिया गया

आई एल ओ रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए ज्ञापन में संकेत किया गया है कि 1977 व 1978 के दौरान पहले ही 54,000 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया है। भारत सरकार व रेलवे प्रिंटिंग प्रैसों में भर्ती पर पूर्ण प्रतिबंध है। आज 12,500 टन स्टैंडर्ड फार्म बाहर के छापेखानों में छपवाया जा रहा है। सरकारी छापेखानों में नई तकनीकी आ जाने से बाहर के छापेखानों में काम खत्म हो जायेगा।

सामाजिक लक्ष्य, आत्मनिर्भरता को ताक पर रखा गया

प्रमुख सामाजिक लक्ष्यों को नजरअंदाज करने के लिए ज्ञापन ने सरकार की निंदा की। आई एल ओ रिपोर्ट का कहना है कि "अनेक विकासशील देशों में, लेकिन, रोजगार उत्पत्ति एक प्रमुख सामाजिक लक्ष्य है और सिद्धांततः नई तकनीकी के चयन में रोजगार उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण विचार होना चाहिए।" (रिपोर्ट 3, पृष्ठ 13)

आई एल ओ रिपोर्ट यह भी कहती है कि "विकासशील देशों में आधुनिकतम मुद्रण तकनीकी के ये चरित्र आमतौर पर दिक्कतें पैदा करते हैं। इन देशों में अनेक ट्रापिकल क्षेत्रों में स्थित है और उनका वातावरण संवेदनशील मशीनों के लिए उपयुक्त नहीं है।" इसमें फिर यह नोट किया गया है कि "इसके साथ ही, आधुनिकतम यंत्रों से मुद्रण करने में फिल्मों या रसायनों, प्लास्टिक मुद्रण प्लेटों और जटिल अतिरिक्त पुर्जों जैसे संवेदनशील पदार्थों की लगातार सप्लाई की जरूरत पड़ती है।" (रिपोर्ट 3, पृष्ठ 13)। इनमें से अनेक या तो हमारे देश में बनते नहीं हैं या उनकी कमी है। इसका कुल परिणाम यह होगा कि इन नयी तकनीकी को इस्तेमाल करने से विकसित पूंजीवादी देशों पर हमारी निर्भरता को बढ़ाएगी।

विशेष त्रिपक्षीय मंच बनाओ

ज्ञापन ने मांग की है कि "इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए भारत सरकार को तुरंत एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय बैठक बुलानी चाहिए और प्रिंटिंग व अलाइड ट्रेड्स के लिए एक विशेष पृथक त्रिपक्षीय मंच बनाना चाहिए।"

सभी लाइसेंस रद्द करो

ऐसे मंच का निर्माण होने तक यह मांग की गई कि फोटो टाइप सैटिंग यूनिटों को लगाने के लिए दिए गए सभी लाइसेंसों को विलंबित रखा जाए और नए लाइसेंस नहीं दिए जाने चाहिए।

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति — मनोरंजन राय

नीरेन घोष — सुधीन कुमार

एम. के. पंधे (संपादक)

एक दिन की आम हड़ताल को सफल बनाओ

बोट क्लब मैदान, नयी दिल्ली, में 23 नवंबर को लाखों मजदूरों ने अपने हाथ उठाकर 19 जनवरी को एक दिन की देशव्यापी औद्योगिक आम हड़ताल करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। पांच लाख से भी ज्यादा की इस अनोखी व विशाल सभा ने कांग्रेस (आई) सरकार की घोर मजदूर वर्ग विरोधी, जनविरोधी, एकाधिकारी-परस्त व भूपति-परस्त नीतियों के खिलाफ अपना और अधिक प्रतिरोध का इजहार करने का फैसला किया।

आम मजदूर तक संदेश ले जाओ

बी. टी. रणदिवे, अध्यक्ष, सीटू ने एक सरकुलर (नीचे प्रकाशित किया गया है) जारी करके सीटू यूनियनों का ध्यान आगामी कार्यों की महत्ता की ओर दिलाया है। ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने जिसकी बैठक नयी दिल्ली में 4 दिसंबर को संपन्न हुई, प्लांट/उद्योग स्तर पर संयुक्त समितियों के निर्माण के लिए व 23 नवंबर की रैली द्वारा पारित प्रस्ताव का व्यापक प्रचार करने के लिए तथा हड़ताल को एक महान सफलता दिलाने के लिए सभी यूनियनों के नाम एक सरकुलर जारी करने का फैसला किया। बैठक ने उन सब सहित जो अभी तक अभियान समिति में शामिल नहीं हुए हैं, समूचे मजदूर वर्ग के नाम एक अपील जारी करने का फैसला किया कि वे अब हड़ताल में भाग लेकर इसे संपूर्ण बनाएं।

समिति की एक संपूर्ण बैठक जिसमें औद्योगिक फेडरेशनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया नयी दिल्ली में 24 दिसंबर को संपन्न हुई ताकि हड़ताल की सफलता की गारंटी हो सके।

चार जनवरी को नोटिस दो

राष्ट्रीय अभियान समिति ने यह भी फैसला किया कि हड़ताल की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर संयुक्त प्रदर्शनों द्वारा यूनियनें/फेडरेशनें चार जनवरी को हड़ताल का नोटिस दें।

अभूतपूर्व उत्साह

आह्वान को जनप्रिय बनाने के लिए जनसभाएं, गेट मीटिंगें आदि आयोजित किए जाने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। इन समाचारों से पता चलता है कि एक दिन को औद्योगिक आम हड़ताल के आह्वान से अभूतपूर्व उत्साह पैदा हुआ है और देश के मजदूर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में पहले ही कई दृढ़ निश्चयी संघर्ष चल रहे हैं। बिहार सरकार के अड़ियल रवैये तथा वेतन समिति की सिफारिशों को लागू करने से इन्कार करने के फलस्वरूप बिहार के अराजपत्रित अधिकारी (एन जी ओ) संघर्ष के लिए मजबूर हुए हैं।

यह तथ्य कि एस्मा को लागू करने के बावजूद भी संघर्ष में सरकारी अध्यापक, नर्सें व जनता के दूसरे हिस्से शामिल हुए हैं, कामकाजी जनता के सभी हिस्सों के कांग्रेस (आई) सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष के दृढ़ निश्चय को सिद्ध करता है।

विपक्ष द्वारा समर्थन, बंगाल बंद

एक दिन की देशव्यापी औद्योगिक आम हड़ताल के आह्वान का संसद में विपक्षी दलों के नेताओं ने समर्थन किया है और उन्होंने एक बयान में समूचे मजदूर वर्ग से अनुरोध किया है कि इस हड़ताल को संपूर्ण सफल बनाएं।

कामकाजी व जनवादी जनता का समर्थन व्यक्त करने के लिए पश्चिमी बंगाल में वाम मोर्चे ने 19 जनवरी को "बंगाल बंद" का आह्वान करने का फैसला किया है।

भारतीय मजदूर वर्ग की पहली तोप, 19 जनवरी, अधिनायकवादी इंदिरा निजाम का वामपंथी व जनवादी विकल्प तैयार करने के लिए बड़े संघर्षों के लिए रास्ता तैयार करे।

जनहितों का नायकत्व करो

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 19 जनवरी को एक दिन की देशव्यापी औद्योगिक आम हड़ताल की तैयारियों के बारे में सभी सीटू यूनियनों व राज्य कमेटियों के नाम 7 दिसंबर को एक सरकुलर जारी किया है। यह इस प्रकार है :

पिछली 23 नवंबर की विशाल रैली—ट्रेड यूनियन मजदूर वर्ग एकता के एक शक्तिशाली प्रदर्शन—ने 19 जनवरी 1982 को एक दिन की देशव्यापी औद्योगिक आम हड़ताल करने का फैसला किया है ताकि सरकार को मुद्रास्फीति, कीमत वृद्धि तथा ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों पर बहुमुखी हमलों की नीतियों को रोका व धराशयी किया जा सके। सरकार की नीतियों तथा इसके अधिनायकवाद के खिलाफ संग्राम में एक ही वर्ग के रूप में सामना करने और एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए समूचे मजदूर वर्ग को लामबंद करने के लिए यह एक अनोखा आह्वान है। यह ट्रेड यूनियन आंदोलन की पहले ही प्राप्त एकता को बनाए रखने व इसे और मजबूत बनाने का भी आह्वान है।

एक दिन की हड़ताल के आह्वान को सफलतापूर्वक लागू किया जाना सरकार की जनविरोधी, श्रमविरोधी नीतियों का प्रतिरोध करने तथा संगठित होने के प्रति जनता के लिए एक महान् प्रेरणा होगी। इसलिए सीटू यूनियनें इस आह्वान को सभी उद्योगों व सभी राज्यों तक ले जाने और इस प्रकार असंगठित हिस्सों को इसका अनुसरण करने के लिए प्रेषित करने के लिए पुरजोर कार्य करें।

इसलिए मैं सभी सीटू यूनियनों से अपील करता हूं कि वे प्लांट/फैक्ट्री/औद्योगिक स्तर पर हर संभव बृहत्तर एकता के निर्माण में अगुवाई हासिल करें, इससे संबंधित मुद्दों को समस्याएं और एक दिन की देशव्यापी औद्योगिक आम हड़ताल की सफलता के लिए भारी अभियान शुरू करें जिनके माध्यम से मजदूर वर्ग अधिकृत तौर पर अपने तथा जनता के लिए आवाज बुलंद कर सके।

मुझे पूरा विश्वास है कि सीटू यूनियनें व हमारी राज्य कमेटियां इस बात को महसूस करेंगी कि आगामी हड़ताल मजदूर वर्ग की जनता के हितों के नायकत्व की नयी भूमिका का पहला प्रदर्शन होगी और वे इसकी सफलता के लिए हर संभव काम करेंगी। □

अतिविशाल कार्य के लिए आगे बढ़ो : राष्ट्रीय अभियान समिति

ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति 23 नवंबर 1981 को संसद के सामने विशाल रैली में भारी तादात में भाग लेने के लिए भारत के मजदूर वर्ग को बधाई देती है! भारत के मजदूर वर्ग का यह सबसे बड़ा एकजुट प्रदर्शन था जिसमें देश के कोने कोने से मजदूरों ने भारत सरकार की मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों व कीमत वृद्धि के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होकर हिस्सा लिया।

समूचे देश के मजदूरों ने बड़े ही उत्साह के साथ 19 जनवरी 1982 को सभी उद्योगों में एक दिन की अखिल भारतीय हड़ताल करने के रैली के पुरजोर आह्वान का स्वागत किया है। भारत के समूचे मजदूर वर्ग की यह कटिबद्ध कार्रवाई हमारे देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन के इतिहास में एक नया अध्याय होगी।

संसद के लिए मजदूरों के मार्च द्वारा बुलंद की गयी मांगें जैसे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी, किसानों के उत्पादों के लिए ऊंचे दाम, खेतिहर मजदूरों को अधिक वेतन, कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई, जरूरत के अनुसार न्यूनतम वेतन, महंगाई के आंकड़ों में वृद्धि की पूरी भरपाई, छंटनी व विक्टिमाइजेशन का खात्मा, अधिक बोनस, महंगाई के आंकड़ों का शुद्धिकरण, गुप्त मतदान द्वारा ट्रेड यूनियनों को मान्यता, सामूहिक सौदेबाजी का बेरोक अधिकार, एन. एस. ए., एस्मा व अन्य दमनकारी कानूनों की वापसी—आगामी दिनों में समूचे देश में बुलंद हों। समूचे मजदूर वर्ग को इन मांगों के लिए लामबंद किया जाना चाहिए ताकि इन अहम मुद्दों पर हड़ताल का आह्वान सभी फैक्ट्रियों, खदानों, बागान व संस्थानों में चकाचौंध करने वाला प्रभाव पैदा करे।

राष्ट्रीय अभियान समिति तहेदिल से सभी संबंद्धताओं के ट्रेड यूनियन संगठनों व मजदूरों से अपील करती है कि वे अपने सदस्यों को लामबंद करें और हड़ताल की महान सफलता के लिए गंभीर तैयारियां शुरू करें। 23 नवंबर के मार्च में प्राप्त एकता को और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि मजदूरों व अन्य मेहनतकश तबकों के जीवन स्तर पर सरकार के घिनौने हमलों को धराशयी किया जा सके। हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय फेडरेशनें जो राष्ट्रीय अभियान समिति में हैं, हड़ताल के आह्वान की महान सफलता के लिए हर काम करेंगी।

विभिन्न उद्योगों में ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय फेडरेशनों से, जो राष्ट्रीय अभियान समिति में अभी तक शामिल नहीं हुई हैं, हम अपील करते हैं कि वे इस देशव्यापी औद्योगिक कार्रवाई का पूरा समर्थन करें ताकि मजदूर वर्ग की शक्तिशाली आवाज का भारत सरकार पर असर पड़े।

राष्ट्रीय अभियान समिति किसानों, खेतिहर मजदूरों, छात्रों, युवकों, महिलाओं व बुद्धिजीवियों से ऐतिहासिक औद्योगिक कार्रवाई में शामिल होने की अपील करती है ताकि मेहनतकश जनता के सभी हिस्से 19 जनवरी 1982 को आम मुद्दों पर एकजुट हों। सरकार की आर्थिक नीतियां जो एकाधिकारियों, भूपतियों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मजबूत करती हैं, भारत में गरीब जनता के हितों पर गहरी चोट करती रही हैं और लगातार संघर्ष के बिना इन नीतियों को धराशयी नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय अभियान समिति को विश्वास है कि भारत के मजदूर व जनता 19 जनवरी 1982 को अपनी भावनाओं का शक्तिशाली प्रदर्शन करेंगे और इसे मजदूरों के संसद के लिए मार्च द्वारा बुलंद की गयी जायज मांगों को प्राप्त करने के लिए एकता व संघर्ष का जनप्रिय दिन बनाएंगे।

राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा 19 जनवरी 1982 को एक दिन की हड़ताल की तैयारियों के संबद्ध में जारी किया गया सरकुलर इस प्रकार है :

राष्ट्रीय अभियान समिति की ओर से सबसे पहले हम आपको नयी दिल्ली में 23 नवंबर को संसद के सामने प्रदर्शन की तैयारियों के दौरान किए गए कार्यों के लिए बधाई देते हैं। इस तथ्य को सभी स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान पर यह प्रदर्शन व रैली देश के समूचे मजदूर वर्ग की इच्छाओं व मूड के अनुसार आयोजित की गयी और इसलिए वे 4 जून के बंबई सम्मेलन के फैसलों को अपना हार्दिक समर्थन व उस सम्मेलन में उठाई गयी मांगों को अपनी स्वीकृति देने के लिए लाखों की संख्या में आए। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारी संख्या में खेतिहर मजदूरों, छात्रों, युवकों व महिलाओं ने हमारे मार्च के साथ अपनी सक्रिय एकजुटता दर्शायी क्योंकि वे भी हमारे देश की आम व मेहनतकश जनता की सार्वभौमिक मांगों को बुलंद करती हैं।

रैली में आए लाखों मजदूरों ने अब हमारे सामने 19 जनवरी 1982 को समूचे देश में इन मांगों के समर्थन में एक दिन की सांकेतिक आम हड़ताल की तैयारियों का एक अति विशाल कार्य पेश कर दिया है।

इसलिए हमको इस कार्रवाई की तैयारियों के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना है।

इसलिए हड़ताल की तैयारियों के लिए हमसे संबद्ध सभी निम्नलिखित कदमों को उठाएं :

(1) प्रस्ताव को तुरंत क्षेत्रीय भाषाओं में अनूदित किया जाना चाहिए और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके मजदूरों में बांटा जाए यदि ऐसा पहले नहीं किया गया हो।

(2) हड़ताल की तैयारियों के लिए संयुक्त समितियां बनाने के लिए प्लांट/औद्योगिक केंद्र स्तर पर कदम उठाए जाने चाहिए। अब तक प्राप्त एकता को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

(3) राष्ट्रीय अभियान समिति के फैसलों तथा 19 जनवरी 1982 को एक दिन की हड़ताल की मांगों व महत्ता को समझाने के लिए संयुक्त गेट मीटिंगें आयोजित की जानी चाहिए।

(4) सभी यूनियनें 4 जनवरी 1982 को प्रदर्शनों के माध्यम से अपने अपने प्रबंधकों को बोट क्लब रैली द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव की

(शेष पृष्ठ चौदह पर)

उड़ीसा में महिलाओं की ट्रेड यूनियन तिविधियां बढ़ीं

ड़ीसा से प्राप्त समाचारों से पता चलता है कि सीटू के नेतृत्व में ट्रेड यूनियन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में आम वृद्धि हुई झारसुगुदा के भास्कर टैक्सटाइल मिल में कामगार महिलाओं के, ादातर आदिवासियों के, भारी समर्थन ने न केवल नयी-नयी बनी टू यूनियन की ताकत बढ़ाई है बल्कि इसकी सौदेबाजी की शक्ति भी ाई है। यूनियन की एग्जीक्यूटिव कमेटी में अधिकतम महिलाएं हैं। धकों के साथ हाल ही में संपन्न एक समझौते के तहत कामगार हिलाओं के वेतन पुरुष कामगारों के समान हो गए हैं और खासतौर महिला समझौतावार्ताकारियों की कड़ी सौदेबाजी के बाद न्यूनतम न मात्र 182 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये स्वीकृत हुआ है। प्रबंधकों दबाव आंदोलनों की एक शृंखला द्वारा डाला गया जिसमें कामगार लाओं ने भारी तादात में भाग लिया था।

सीटू यूनियन पर हाल ही के हमले और सीटू की उड़ीसा राज्य टी के महासचिव अजेय राहत की हत्या की कोशिश के खिलाफ कारियों के समक्ष धरने में कामगार महिलाओं ने भारी संख्या में लिया था।

सीटू की उड़ीसा राज्य कमेटी ने विभिन्न उद्योगों में कामगार लाओं में विश्वास पैदा करने और ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए शिक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं तथा वे पुरुष कामगारों के साथ नेतृत्व संभालने के लिए आगे आ रही हैं। □

ई के इंजीनियरिंग मजदूरों की हड़ताल

अंधेरी व भांडूप में लगभग 150 फैक्ट्रियों के दस हजार मजदूरों हुदुस्तान फेरोडो लिमिटेड, धाटकोपर, के हड़ताली मजदूरों का न करते हुए सरकार के इस विश्वास पर असहमति व्यक्त की कि नवेंशन की सभी जरूरियात को पूरा पहले ही कर रही है। उदा- न में 17 नवंबर को एक दिन की व्यापक हड़ताल की।

हुदुस्तान फेरोडो के 2,200 मजदूरों की लंबे अरसे से अनिर्णित मांग पत्र, जिसमें प्रबंधकों द्वारा काटे गए महंगाई भत्ते की बहाली ग शामिल है, के समर्थन में हड़ताल अब छटे महीने में पहुंच गयी

क दिन की हड़ताल का आह्वान इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन) ने किया था। हड़ताली मजदूर आजाद मैदान में इकट्ठा हुए क विराट जुलूस में मंत्रालय गए। म्यूजियम के पास पुलिस ने रोक लिया। बिना किसी भड़कावे के वे मुख्य सड़क पर ही बैठ एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें पी. के. कुरणे, पी. संजगिरी, के. एल. पी. आर. कृष्णन, अशोक बनर्जी, प्रभाकर स्वाथे व एस. एन. र थे, राज्य श्रममंत्री से मिला और फेरोडो मजदूरों के मांग पत्र त समझौते की मांग करते हुए एक ज्ञापन दिया। बाद में मजदूरों ों के अलावा यूनियन अध्यक्ष एस. वाई. कोल्हटकर ने संबोधित □

महंगाई के आंकड़े

(आहार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1981		
	अग.	सित.	अक्तू.
बिहार			
जमशेदपुर	428	429	435
झारिया	420	425	433
कोडर्मा	464	476	478
मोंघाइर	491	498	503
नोआमुंडी	441	437	432
गुजरात			
अहमदाबाद	441	444	446
भावनगर	465	460	458
हरियाणा			
यमुनानगर	481	480	488
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	471	482	492
मध्यप्रदेश			
बालाघाट	467	477	479
भोपाल	477	479	481
ग्वालियर	482	483	483
इंदौर	492	484	484
महाराष्ट्र			
बंबई	462	458	466
नागपुर	466	481	488
शोलापुर	504	499	501
पंजाब			
अमृतसर	473	474	479
राजस्थान			
अजमेर	481	492	478
जयपुर	499	499	495
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	446	442	454
सहारनपुर	450	458	472
वाराणसी	494	496	498
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	449	452	464
कलकत्ता	412	423	429
दार्जीलिंग	365	376	376
हावड़ा	395	403	411
जलपाइगुरी	364	366	369
रानीगंज	422	430	442
दिल्ली	480	480	481
भारत	454	456	460

भारतीय रेलवे में सामान्य वातावरण बहाल करो

–समर मुखर्जी

समर मुखर्जी, एम. पी. (लोकसभा में सी. पी. आई. एम ग्रुप के नेता) ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम अपने 15 निसंबर के पत्र में उनसे भारतीय रेलवे में सामान्य वातावरण बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया है। संगठन की स्वतंत्रता पर कमेटी की 211वीं रिपोर्ट (इस अंक में प्रकाशित) का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि आई. एल. ओ. के विचार में सरकार को विवाद से बचने के लिए लोको रनिंग स्टाफ ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। ए. आई. एल. आर. एस. ए. नेतृत्व की भी यही शिकायत है और उन्होंने बार-बार स्मरणपत्र दिए हैं कि बातचीत द्वारा मुद्दों को हल करने के लिए उन्हें अफसरान तक से मिलने का अवसर नहीं दिया जाता। उन्होंने अजनी लोको शेड के शंटर 'बी' श्री न्यूटन एलिजा की, जिसे अगस्त में एन. एस. ए. के तहत गिरफ्तार किया गया था यानि संघर्ष के दिनों के दौरान जारी एक आदेश के आधार पर संघर्ष वापिस ले लिए जाने के छः महीनों बाद, तुरंत रिहाई के आश्वासन के लिए फौरी कदम उठाने की भी मांग की।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने नियम 14 (ii) के तहत 600 से भी ज्यादा लोकोकर्मियों की सीधी बर्खास्तगी के मामलों की समीक्षा करने से न केवल इन्कार किया बल्कि बर्खास्तगी के मनमाने आदेशों को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीमकोर्ट तक पहुंच गई है।

उन्होंने जोर दिया कि आई. एल. ओ. के विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि मौजूदा नीतियों को जारी रखना भविष्य में विपरीत सिद्ध होगा। □

सुप्रीम कोर्ट ने रोकने का आदेश दिया

सुप्रीमकोर्ट ने 3 दिसंबर को अर्चिताकुमार बिसवास, एसिस्टैंट ड्राइवर, ईस्टर्न रेलवे, बर्दवान द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट के सिंगल बैंच फैसले के खिलाफ दायर की गई एक अपील को न केवल दाखिल कर लिया है बल्कि सेवायुक्ति के आदेश आदि के खिलाफ रोकने का आदेश भी दिया है।

लोको कर्मियों के संघर्ष के दौरान अर्चिता बिसवास को नियम 14 (ii) के तहत नौकरी से निकाल दिया गया था। उसने सुप्रीमकोर्ट में अपील की थी क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसकी रिट पेटीशन खारिज कर दी थी। एडवोकेट एच. के. पुरी व पी. के. चटर्जी सहित सोमनाथ चटर्जी, एम. पी., बार-एट-ला, अर्चिता बिसवास के लिए सुप्रीमकोर्ट में पेश हुए थे। □

आकस्मिक मजदरों की छटनी का आदेश

साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर द्वारा सभी डिविजनल रेलवे मैनेजरों को 15 जुलाई को लिखे गए एक गुप्त पत्र से पता लगता है कि रेलवे बोर्ड ने ऐसे आदेश जारी किए गए हैं कि आकस्मिक मजदूरों की नए काम पर लगाने की पहली पद्धति की बजाए अधिकारी आकस्मिक मजदूरों को मुआवजा देकर छंटनी करेंगे। काम को ठेका मजदूर द्वारा कराने पर जोर दिया गया है। यहां तक कि डीप-स्क्रीनिंग, सी. टी. आर. कार्य आदि जैसे लाइन के कार्य के रख-रखाव का काम अ ठेकेदारों को दिया जाएगा। ठेका प्रणाली इतना जोर पकड़ रही है कि कालोनियों का रख-रखाव कार्य जो अभी तक विभागीय स्तर पर होत था अब ठेका प्रणाली के तहत आ जाएगा।

सभी आकस्मिक मजदूरों द्वारा जो 10 से 15 साल से कार्य कर और स्थायी स्थानों पर लिए जाने की आशा कर रहे हैं, ठेका प्रणाल से काम कराने के प्रति रुझान के कारण छंटनी का सामना किए जा की संभावना है, जब कि ट्रेनों की सुरक्षा के खतरे में पड़ने की संभावन है। □

भांप लोको शेड बंद किए जा रहे हैं

इंडियन रेलवेज लोको मकैनिकल स्टाफ एसोसिएशन की सं डब्ल्यू. सी. की नयी दिल्ली में नवंबर में संपन्न एक बैठक में सदस्यों बताया कि कुछ भांप लोकोशेडों को पूरी तरह बंद कर दिया गया जिससे कोल व एश हैंडलिंग स्टाफ बेरोजगार हो गया है तथा लोक शेडों के स्थायी स्टाफ से वेगनों की मरम्मत का काम लिया जा रहा है इससे काम में फर्क आने के अलावा पदोन्नति की समस्या भी ख होगी। बैठक ने तथ्य जुटाने का फैसला किया और उसके बाद कैरे एंड वेगन स्टाफ काउंसिल के साथ विचार-विमर्श करके आगे की का वाई तय की जाएगी। □

टिब्यूनल के फैसले के खिलाफ रिजर्व बैंक कर्मचारियों का संघर्ष

आल इंडिया रिजर्व बैंक एंप्लाईज एसोसिएशन के अंतर्गत संगठि रिजर्व बैंक कर्मचारी राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल द्वारा 4 दिसंबर दिए गए फैसले के खिलाफ लंबे संघर्ष के रास्ते पर हैं। विभिन्न कें पर सात दिसंबर को संस्थानों के सामने प्रतिरोध प्रदर्शन किए गए।

कलकत्ता में सदस्यों को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के मह सचिव आशिष सेन ने इस फैसले की श्रम विरोधी प्रकृति का विस्त से उल्लेख किया। फैसले के तहत आम कार्य प्रक्रिया में विभिन्न इ क्ट्रानिक मशीनों का इस्तेमाल करने और बैंक कार्य में कंप्यूटर का इस माल करने की बात कही गयी है। फैसले में प्रबंधकों के काममात्रा तरीकों के हल को बरकरार रखा गया है। आशिष सेन ने कहा कि फैसला मजदूरों की एकजुटता तोड़ने के इरादे से किया गया है अ उन्होंने सदस्यों का आह्वान किया कि सरकार के हमलों का प्रतिर करने के लिए एकजुट संघर्ष को आगे बढ़ाएं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ संघर्ष का नया दौर

फेडरेशन डेस सिंडीकेटिस नेशनाक्श (सी एस एन), कनाडा ने लूमीनियम कंपनी लिमिटेड आफ कनाडा (ए एल सी ए एन) या की सब्सिडियरी कंपनियों के मजदूरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता कसित करने के लिए मोनट्रील, कनाडा, में 5 से 9 अक्तूबर को एक र्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें ए एल सी ए एन के क्यूबेक ंटों का प्रतिनिधित्व करने वाले सी एस एन डेलीगेटों के अलावा न, बेल्जियम, ब्रिटिश गुयाना, फ्रेंच गुयाना, जमाइका, मैक्सिको, टिश कोलंबिया व भारत से डेलीगेटों ने भाग लिया। सीटू का प्रतिधित्व अलूमीनियम फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन, अलूपुरम, एर्नाकुलम के चव कामरेड के बालाचंद्रन ने किया।

यह आम जानकारी का विषय है कि बहुराष्ट्रीय निगमों का विकास-ा देशों को वस्तुओं के निर्माण व बिक्री के अलावा उनके प्राकृतिक ाधनों पर एकाधिकारी नियंत्रण है। बहुराष्ट्रीय निगम आज विश्व ाथमिक अलूमीनियम के 55 प्रतिशत, बाक्साइड के 58 प्रतिशत र अलूमिना उत्पादन के 65 प्रतिशत पर नियंत्रण किए हुए हैं। ख अलूमीनियम कंपनियों जिनके नाम हैं दि अलूमीनियम कंपनी ह अमेरिका जिसने ए एल सी ए एन की स्थापना की फ्रांस में पांची-न फ्रोगिस, स्विटजरलैंड में अलूसुइजे, जर्मनी में अलूमीनियम इंड-ज ए जी और ब्रिटिश अलूमीनियम कंपनी ने एक विश्वव्यापी ट्रस्ट या है। विद्युतविश्लेषण द्वारा अलूमिना को अलूमीनियम में बदलने नई खोज तथा इस नई तकनीकी के पेटेंट अधिकारों ने बहुत ही ी दर पर अलूमीनियम उत्पादन को संभव बना दिया हैं। इस या में विद्युत की भारी मात्रा में जरूरत पड़ती है और इसलिए वे ी कीमत पर उपलब्ध जलविद्युत ऊर्जा के क्षेत्रों की तलाश में रहते

केवल कनाडा में ही ए एल सी ए एन के तहत 20,000 मजदूर म करते हैं और इसकी बाक्साइट खदानें ब्रिटिश गुयाना, फ्रेंच गुयाना जमाइका में हैं तथा समूचे विश्व में कई देशों में इसके निर्माण प्लांट भारत में ए एल सी ए एन की प्रमुख शेयरहोल्डर इंडियन अलूमी-म कंपनी लिमिटेड है जिसके प्लांट अल्वाय, बेलगाम, बेलूर, हीरा-व कलकत्ता में हैं और इसकी कई खदानें हैं। इसमें 7,000 मजदूर करते हैं तथा इसका उत्पादन ए एल सी ए एन के विश्वव्यापी कुल ादन का 6 प्रतिशत है।

पिछले सालों में ए एल सी ए एन ने अपनी विदेश गतिविधियां बढ़ा ई और कनाडा से बाहर के प्लांटों से उत्पादन बढ़कर 1970 में 5 प्रतिशत हो गया। अब वे जापान, आस्ट्रेलिया आदि में केंद्रित रहे हैं और कनाडा में मजदूरों को क्यूबेक क्षेत्र में फालतू कहकर ाला जा रहा है। यूनियनों को अब विश्वास हो गया है कि सौदे-ी की ताकत को तब ही बढ़ाया जा सकता है जब उन्हें अन्य देशों से ए एल सी ए एन के प्रमुख निवेश हैं समर्थन मिलता है।

इसलिए, इस सम्मेलन में, मजदूरों पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण जैसे वेतन (जरूरत के अनुसार, पुरुषों व महिलाओं के लिए समान न, एक ही देश में ए एल सी ए एन की विभिन्न फैक्ट्रियों में वेतनों में समानता), सेवा सुरक्षा, पदोन्तति के लिए नियमों, यूनियन कार्रवाई की स्वतंत्रता, कार्य के घंटे, खतरे की हालत में काम रोकने का अधिकार, हड़ताल के अधिकार सहित संगठन की स्वतंत्रता आदि पर विचार-विमर्श किया गया।

सम्मेलन ने ए एल सी ए एन व इसकी सब्सिडियरी कंपनियों में विभिन्न ट्रेड यूनियनों की सलाह से एक तदर्थ समिति बनाने का फैसला किया जिसका मुख्यालय सी एस एन कनाडा के दफ्तर में होगा और यह जापान, आस्ट्रेलिया आदि में ए एल सी ए एन की फैक्ट्रियों में यूनियनों से भी सहायता मांगेगी। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए केंद्र अंग्रेजी व फ्रेंच में नियमित समय पर एक बुलेटिन भी प्रकाशित किया करेगा।

इस सम्मेलन का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि अप्रैल 1980 में बेल्ग्राद में संपन्न 'विकास पर विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन' ने कहा था कि "ट्रेड यूनियनों को किसी दत्त बहुराष्ट्रीय कंपनी या ग्रुप के सभी मजदूरों की आर्थिक, सामाजिक समस्याओं पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रबंधकों के साथ विचार विमर्श के अधिकार तथा साधनों के लिए और इन गुणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक सौदेबाजी करने के लिए भरसक कोशिशें करनी चाहिएं।" सी एस एन, जो विश्व ट्रेड यूनियन सम्मेलन में भागीदार थी, ने अलूमीनियम बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से एक ए एल सी ए एन के खिलाफ संघर्ष के नए दौर के लिए कदम उठाया है। □

राष्ट्रीय अभियान समिति...

(पृष्ठ ग्यारह से आगे)

एक प्रतिलिपि सहित पत्र दें। ऐसे पत्र का एक नमूना इसके साथ संलग्न है।

इसके साथ हम राष्ट्रीय अभियान समिति की एक अपील भी भेज रहे हैं जिसे पर्चों के रूप में मजदूरों में ज्यादा से ज्यादा बांटा जाए।

हमें पूरा विश्वास है कि आप मजदूर वर्ग की एकता को मजबूत करने तथा इसे और आगे बढ़ाने के लिए सभी कदम उठाएंगे।

19 जनवरी 1982 के लिए आगे बढ़ो।

नमूना

4 जनवरी 1982

(संस्थान के चीफ एग्जीक्यूटिव का पद,
संस्थान का नाम व पता)

श्रीमान जी,

ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति के द्वारा 23 नवंबर 1981 को संसद के समक्ष आयोजित रैली द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि हम इसके साथ संलग्न कर रहे हैं।

हमारी यूनियन ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार किया है। इसके अनुसार हमारी यूनियन के सदस्य अन्य मजदूरों के साथ 19 जनवरी 1982 को एक दिन की हड़ताल पर जाएंगे।

यह आपकी सूचना के लिए है।

भवदीय,
(महासचिव)

बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल आफ आयल, केमिकल्स एंड अलाइड इंडस्ट्रीज ने बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के खिलाफ मास्को में 11 से 13 नवंबर तक ट्रेड यूनियनों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। आल इंडिया केमिकल्स एंड फार्मेस्यूटिकल एंप्लाईज फेडरेशन (ए आई सी ए पी ई एफ) की ओर से जे एस मजूमदार, सी सी मैंडिस, ज्वाहर गुप्ता, जार्ज वर्गीस व अमित्व गुहा ने सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन में 71 देशों के 118 संगठनों के 217 डेलीगेटों ने भाग लिया। ग्यारह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे डब्लू एफ टी यू, आई एल ओ, यू एन आई डी ओ व यू एन सी टी ए डी ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे।

एक सात सदस्यीय अध्यक्ष मंडल ने जिसमें जे एस मजूमदार भी शामिल थे प्लेनरी सैशन की कार्रवाई चलाई।

ए आई सी ए पी ई एफ की ओर से बोलते हुए सी सी मेंडिस ने स्वास्थ्य की अवधारणा पर जोर दिया कि इसमें मात्र चिकित्सा समस्या ही नहीं बल्कि सामाजिक व आर्थिक पहलू भी शामिल हैं। इसलिए इस अवधारणा के साथ देश की आर्थिक प्रणाली व राजनीतिक ढांचा काफी करीबी से जुड़ा है। विश्व बैंक निजी कंपनियों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए और अधिक स्वतंत्रता की मांग करता रहा है और भारत सरकार इस दबाव के सामने झुकती रही है व देश की गरीब जनता को उनके निर्दयी शोषण के समक्ष ढकेलती रही है जिसके फलस्वरूप बच्चों की मृत्यु दर व ट्यूबरकुलोसिस व लैप्रोसी के शिकार होने की दर बढ़ गयी है। उन्होंने उनके उन आदेशों की ओर भी इशारा किया जिनकी वजह से भारत सरकार झुकती जा रही है तथा वह ऐसे शोषण के खिलाफ प्रतिरोध कर रहे मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों व जनवादी आंदोलनों को कुचल रही है। उन्होंने आई एम एफ से हाल ही में लिए ऋण की चर्चा की जिसकी वजह से सरकार ने हड़तालों पर प्रतिबंध लगाते हुए एस्मा को लागू किया। उन्होंने बताया कि भारत में फार्मेस्यूटिकल मजदूरों का संघर्ष सरकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायता तथा समर्थन करने की नीतियों के खिलाफ देश के मजदूर वर्ग के संघर्ष की मुख्यधारा के साथ जुड़ा है।

सम्मेलन ने इशारा किया कि तीसरी दुनिया की जनता कुपोषण की शिकार है। मृत्यु की ऊंची दर, आत्म प्रर्याप्तता की कमी, आवश्यक दवाओं की कमी व दवाओं की ऊंची कीमतें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रभुता के कारण इन सभी देशों में एक आम दृश्य पेश करती हैं। सम्मेलन ने सर्वसम्मति से यह व्यक्त किया कि मजदूरों को कड़े शोषण का शिकार बनाया जाता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां मजदूरों पर उनकी क्रय शक्ति कम करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को कमजोर करने तथा सामूहिक सौदेबाजी को खत्म करने के लिए लगातार हमले कर रहे हैं। एक नई अर्थव्यवस्था के लिए सम्मेलन ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की इस नीति व प्रभुता को बदलने के लिए एक संघर्ष कार्यक्रम तैयार किया। इसने सभी देशों के फार्मेस्यूटिकल मजदूरों का आह्वान किया कि वे संपूर्ण ट्रेड यूनियन समर्थन देने तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की इन गतिविधियों को खत्म करने के लिए डब्लू एच ओ, आई एल ओ, यू एन आई डी ओ, यू एन सी टी ए डी आदि जैसा संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों पर दवाब देने के लिए ट्रेड यूनियन गतिविधियों को तेज करें।

एक ही बहुराष्ट्रीय कंपनी में राष्ट्रीय, महाद्विपीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों की कोआर्डिनेशन कमेटियां बनाने पर सम्मेलन ने जो दिया। इसने फिर बहुराष्ट्रीय निगमों के राष्ट्रीयकरण तथा आत्मनिर्भरता के लिए आह्वान किया।

अंतिम विश्लेषण में सम्मेलन ने मुट्ठी भर लोगों द्वारा भारी मुनाफे कमाने की नीति की भर्त्सना की जबकि लाखों जन, बच्चे भूख कुपोषण व बीमारियों से मर रहे हैं। इसने स्वास्थ्य के लिए अधिकार तथा जीवन के लिए अधिकार का नारा दिया और सभी संगठनों अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा रसायन व बैक्टीरियो-लायोजिकल हथियारों के विकास व इस्तेमाल के खिलाफ और न्यूक्लीयर बमों व अन्य न्यूक्लीयर हथियारों को जमा करने के खिलाफ शांति के लिए संघर्ष तहेदिल से शामिल होने की अपील की।

सम्मेलन ने फैसलों को लागू करने के लिए एक कमेटी बनायी भारत से जे एस मजूमदार इस कमेटी में शामिल हैं।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा 19 जनवरी की हड़ताल की तैयारी

राज्य व केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के विभिन्न संगठन कीमत वृद्धि

भारत सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ 19 जनवरी को एक दिन की अखिल भारतीय हड़ताल करने के राष्ट्रीय अभियान समर्पित के शानदार आह्वान का समर्थन करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं।

23 नवंबर की रैली द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एंप्लाईज फैडरेशन ने 18 दिसंबर को बंगलौर में संपन्न अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में देश के 50 लाख राज्य सरकार कर्मचारियों व अध्यापकों का 19 जनवरी को देशव्यापी ऐतिहासिक हड़ताल में शामिल होने के लिए पूरी तैयार होने के लिए आह्वान किया है।

आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने अपनी वर्किंग कमेटी की नई दिल्ली में 21 व 22 नवंबर को संपन्न बैठक हड़ताल में भाग लेने की अपनी तैयारी व्यक्त की है बशर्ते कि कर्मचारियों की अन्य फैडरेशनें व एसोसिएशनें ऐसे फैसले लें।

नैशनल फैडरेशन आफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंप्लाईज ने सदस्यों का बिना किसी हिचक के व दृढ़ता के साथ मुख्य धा शामिल होने का आह्वान किया है।

आल इंडिया डिफेंस एंप्लाईज फैडरेशन ने हड़ताल में भाग लिए कर्मचारियों का आह्वान किया।

बैंक कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों ने आह्वान का किया है और अपने सदस्यों का हड़ताल में भाग लेने का आह्वान है।

ीटू की कर्नाटक राज्य काउंसिल की बैठक

ीटू की कर्नाटक राज्य काउंसिल की बैठक 15 दिसंबर को बंगलौर में संपन्न हुई। बैठक ने भारत गोल्ड माइंस एंप्लाइज यूनियन के हासचिव कामरेड एस. धानासिंह की 12 दिसंबर की हुई मृत्यु पर क प्रकट किया।

बैठक ने दांडेली मजदूरों पर पुलिस अत्याचार की निंदा की और ज्य कमेटी के उपाध्यक्ष व दांडेली म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष आर. साथलेकर के खिलाफ निस्कासन कार्रवाई की वापसी की मांग ।

कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारियों को 6 जनवरी से अनिश्चित-लीन हड़ताल पर जाने के फैसले का समर्थन करते हुए बैठक ने एक ताव पारित किया। वेतन से महंगाईभत्ते का संबंध हटाकर बीड़ी, ान व अन्य मजदूरों के न्यूनतम वेतनों की दर में कमी करने के लिकान के दबाव के समक्ष राज्य सरकार द्वारा झुकने की निंदा ते हुए बैठक ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें ट्रेड यूनियनों के सुझाव नुसार संशोधित न्यूनतम वेतनों के फौरी प्रकाशन की मांग की गयी

बैठक ने 19 जनवरी को एकदिवसीय हड़ताल की तैयारियों पर ार विमर्श किया और राज्य में सभी उद्योगों व संस्थानों में मजदूरों भी हिस्सों का हड़ताल में भाग लेने तथा एकता मजबूत करने का ान किया। □

मेंट उद्योग में त्रिपक्षीय बैठक की टू द्वारा मांग

ट उद्योग के मजदूरों तथा सीमेंट मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन के च विवाद को श्रम विभाग द्वारा पंच फैसले के लिए सौंपने को करते हुए सीटू ने सीमेंट उद्योग में त्रिपक्षीय बैठक की मांग की है। टक से संबद्ध इंडियन नैशनल सीमेंट एंड अलाइड वर्कर्स फैड-के इस दावे को स्वीकार करते हुए कि उन्हें मजदूरों का बहुमत है, सीमेंट मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन ने मांग पत्र को इंटक के महा-जी. रामानुजम व हिंदुस्तान शूगर मिल्स के आर. पी. नेवातिया फैसले के लिए सौंपने के लिए एक समझौता किया। सीटू से सभी यूनियनों व एटक के नेतृत्व में आल इंडिया सीमेंट वर्कर्स न ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए लिए गए इस फैसले को अस्वी-र दिया।

ारत सरकार के श्रम मंत्रालय के सचिव को 22 दिसंबर को क पत्र में सीटू ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उपरोक्त समझौता नियनों पर बाध्य नहीं होगा और स्थिति को बिगड़ने से बचाने विवाद से संबद्ध सभी ट्रेड यूनियनों की एक त्रिपक्षीय बैठक ी मांग की। □

न्यूनतम वेतन की मांग पर गाजियाबाद के मजदूरों की हड़ताल

गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) की एक सौ से भी ज्यादा फैक्ट्रियों के हजारों मजदूरों ने 500 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग करते हुए 23 दिसंबर को हड़ताल की। उनकी अन्य मांगों में किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी दाम, खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन का निर्धारण, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी और एन. एस. ए. व एस्मा को खत्म करने की मांगें शामिल हैं।

सीटू के नेतृत्व में चार यूनियनों—टैक्सटाइल मिल मजदूर संघ, इंजीनियरिंग कामगार यूनियन, कैमिकल वर्क्स यूनियन व कार्ड बोर्ड वर्क्स यूनियन—ने गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र में 103 फैक्ट्रियों के प्रबंधकों व सरकार को संयुक्त नोटिस दिए थे।

मजदूरों ने अपनी-अपनी यूनिटों में काफी लंबे समय तक संघर्ष चलाए हैं। लेकिन सरकार व मालिकान ने उनकी मांगों पर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया। भारी एकजुट कार्रवाई से समूचे औद्योगिक क्षेत्र में जबरदस्त प्रभाव पड़ा है और संयुक्त संघर्ष को और तेज करने की भावना पैदा हुई है।

हड़ताल करने के बाद मजदूरों ने गाजियाबाद की नवयुग मारकीट में एक रैली आयोजित की। □

मध्यप्रदेश में पी. डब्लू. डी. मजदूरों का संघर्ष

हजारों पी. डब्ल्यू. डी. मजदूरों ने लंबे समय से अनिर्णीत सात-सूत्री मांग पत्र पर समझौते की मांग करते हुए 5 दिसंबर को उज्जैन में आयुक्त के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। सभी मजदूरों के स्थायी-करण जिन्होंने एक साल से ज्यादा काम किया है, अकुशल, अर्द्ध कुशल व कुशल मजदूरों के लिए अधिक वेतन, आदि की मांग करते हुए मध्य-प्रदेश के मुख्यमंत्री व पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री को कई ज्ञापन दिए गए थे। लेकिन मंत्रियों के सभी आश्वासनों के बावजूद मजदूरों का आंदोलन कुचलने के लिए उन पर दमन ढाना शुरू कर दिया गया। अविचलित मजदूरों ने लोक निर्माण विभाग मजदूर वर्कचार्ज कर्मचारी यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की और अपनी मांगें मनवाने के लिए लगातार संघर्ष शुरू किया।

हजारों मजदूर देवास गेट, उज्जैन से चले और सह श्रमायुक्त, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर व आयुक्त के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया तथा मांग पत्र की प्रतियां दायर कीं।

अन्यों के अलावा रैली को सीटू की मध्य प्रदेश राज्य कमेटी के सचिव बंसीधर आजाद ने संबोधित किया। रैली ने मांगों के माने जाने तक संघर्ष को जारी रखने का फैसला किया।

इन्दौर में 14 दिसंबर को लगभग 4,000 मजदूरों ने आयुक्त के दफ्तर के सामने एक और भारी प्रदर्शन किया। □

इस्पात मजदूर सम्मेलन के लिए जोरदार तैयारियां

अखिल भारतीय इस्पात मजदूर सम्मेलन के लिए तैयारियां सभी इस्पात प्लांटों में तेजी से हो रही हैं और सम्मेलन की महान सफलता के लिए भूमिका निभाने के लिए मजदूर उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं।

दुर्गापुर में मजदूरों में से अनुदान जुटाने के प्रति भारी समर्थन मिल रहा है और स्वागत समिति को आशा है कि वह सम्मेलन के खर्चे चलाने के लिए पर्याप्त राशि इकट्ठा कर लेगी। इस्पात प्लांटों में भी डेलीगेटों के किराए भाड़े के लिए धन तहेदिल से इकट्ठा किया जा रहा है। अनुमान लगाया जाता है कि सम्मेलन में 600 डेलीगेटों के भाग लेने की संभावना है, सभी इस्पात प्लांटों से भारी संख्या में ठेका मजदूरों को सम्मेलन में डेलीगेट के रूप में लाने के लिए विशेष कोशिशें की जा रही हैं।

प्रस्तावित फेडरेशन के संविधान के मसविदों को इस्पात यूनियनों की आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी की 25 व 26 नवंबर को दुर्गापुर में संपन्न बैठक में अंतिम रूप दिया जा चुका है। कोआर्डिनेशन कमेटी ने सम्मेलन की कार्रवाई को विस्तार से तय कर लिया है। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए तैयारी समिति की बैठक दुर्गापुर में 7 जनवरी को सुबह नौ बजे होगी।

सम्मेलन को जनप्रिय बनाने वाले रंगबिरंगे पोस्टर सभी इस्पात नगरियों की दीवारों पर लगा दिए गए हैं और सम्मेलन के समक्ष मुद्दों से मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

सीटू के अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे तथा सीटू के उपाध्यक्ष कामरेड ज्योति बसु 10 जनवरी को खुले अधिवेशन को संबोधित करेंगे।

सोवियत संघ व चीन के इस्पात मजदूरों की यूनियन के डेलीगेटों ने सम्मेलन में अपनी भागीदारी की सूचना दे दी है। रोमानियां व चैकोस्लोवाकिया के उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

सम्मेलन में इस्पात उद्योग में संकट तथा इस्पात मजदूरों की दशा की समीक्षा की जाएगी। इसमें इस्पात मजदूरों के नए मांगपत्र पर एकजुट आंदोलन का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

एच एस सी एल मजदूरों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन 7 जनवरी को दुर्गापुर में होगा। यह एच एस सी एल मजदूरों की छंटनी को खतरों तथा एच एस सी एल मजदूरों के लिए नए वेतन स्तर के लिए आंदोलन की समस्याओं पर विचार करेगा। इस्पात मजदूर एच एस सी एल संगठन में मौजूद भारी भ्रष्टाचार व कुप्रबंध के खिलाफ संघर्ष में एच एस सी एल मजदूरों का समर्थन करेंगे। ☐

कामरूप पेपर मिल्स में क्लोजर

असम राज्य कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल सीटू के सचिव नृसिंह चक्रवर्ती सहित केंद्रीय उद्योग व श्रममंत्री से 24 नवंबर को मिला और इलाके के तीन हजार से भी ज्यादा लोगों को हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन दिया और उनसे अनुरोध किया कि वे 3 दिसंबर से कामरूप पेपर मिल्ज के सूचित क्लोजर को न होने देने के लिए कदम उठाने के लिए आश्वासन दें। यदि प्रबंधक सहमत नहीं होते हैं तो सरकार को मिल का अधिग्रहण कर लेना चाहिए क्योंकि यह एक लाभकारी संस्था है। श्री तिवारी ने फौरी कार्रवाई का आश्वासन दिया और आदेश जारी किए कि संयुक्त सचिव श्री एच. पाइस गोहाटी जाएंगे व मुद्दे पर फैसला करेंगे।

पृथकतावादी आंदोलन के फिर से शुरू हो जाने के कारण प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दिया गया। प्रबंधकों ने राज्य सरकार के इसके खिलाफ अनुरोध के बावजूद क्लोजर लागू कर दिया।

सीटू ने इस संस्थान के अधिग्रहण के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया है। ☐

जे के मजदूरों का अखिल भारतीय आंदोलन

उत्तर प्रदेश के जे. के. ग्रुप व रेयान मजदूरों के संघर्ष ने उस समय एक नया मोड़ लिया जब समूचे देश में इसकी यूनिटों के मजदूरों ने 1[illegible] दिसंबर को अखिल भारतीय प्रतिरोध किया। समाचारों के अनुसार कानपुर के संघर्षरत मजदूरों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लि[illegible] देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन व रैलियां आयोजित की गईं।

सीटू की जनरल काउंसिल की बेलूर बैठक के फैसलों के अनुसा[illegible] जे. के. ग्रुप व रेयान मजदूरों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन कानपु[illegible] में 7 व 8 नवंबर को संपन्न हुआ। सम्मेलन के आह्वान पर अखि[illegible] भारतीय प्रतिनिधियों की 24 नवंबर को संपन्न एक बैठक ने अखि[illegible] भारतीय आंदोलन का कार्यक्रम तैयार किया जिसकी शुरुआत 1[illegible] दिसंबर को प्रतिरोध दिवस आयोजित करके हुई। कानपुर के जे. के[illegible] मजदूरों का लंबा संघर्ष इस प्रकार नए चरण में प्रविष्ट हुआ जिस[illegible] प्रबंधकों के सीटू के तहत संगठित मजदूरों पर हमलों व इंटक यूनिय[illegible] के संरक्षण के खिलाफ पिछले दो सालों से चल रहे कटु संघर्ष के भंव[illegible] में देश के सभी मजदूर शामिल हुए।

देश के विभिन्न हिस्सों से कानपुर सम्मेलन में 76 डेलिगेटों [illegible] 34 बिरादराना डेलिगेटों ने भाग लिया।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सीटू सचिव एम. के. पंधे[illegible] जे. के. ग्रुप के प्रबंधकों की निंदा की और कहा कि सिंघानिया देश [illegible] अपनी संपत्ति में तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। भारतीय एकाधिकारियों [illegible] चौथे स्थान से अब वे तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं और उनका नंब[illegible] अब केवल टाटा व बिरला के बाद ही आता है। जे. के. मजदूरों प[illegible] भारी दमन उनकी नग्न मजदूर विरोधी नीतियों का सबूत है। उन्हों[illegible] कांग्रेस (आई) सरकार की जे. के. ग्रुप द्वारा दमन करने और इंटक [illegible] गुंडों की मदद से आतंक फैलाने में उनका खुला समर्थन करने की क[illegible] निंदा की। सरकार-मालिकान गुट की अधिनायकवादी कार्रवाइयों [illegible] बखूबी प्रतिरोध करने के लिए उन्होंने मजदूरों का एकता व संघर्ष [illegible] जोरदार आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कीमतों में वृद्धि करके त[illegible] मजदूरों व आम जनता पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़कर सिंघानिया जै[illegible] एकाधिकारियों के मुनाफे बढ़ाने के लिए इंदिरा सरकार के उत्तरोत्[illegible] अधिनायकवादी कदमों का एक हिस्सा है जे. के. मजदूरों पर दमन।

बैंक, सुरक्षा, आई. ई. एल., जे. के. जूट मिल, सिंटैक्स ट्यूब वक[illegible] कोटा जे. के. मजदूरों आदि मजदूरों के विभिन्न संगठनों ने जे. [illegible] मजदूरों के संघर्ष के साथ अपना समर्थन व्यक्त किया है। ☐

पृथकतावादी ताकतों द्वारा सीटू कार्यकर्त्ता की हत्या

असम में पृथकतावादी ताकतों के साथ सांठ-गांठ करके समाज विरोधी तत्वों के दल ने 16 दिसंबर को नाम रूप में सीटू कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया तथा सुखानंदन पंडित की हत्या कर दी। प्रफुल्ल बोरा व अन्य तीन गंभीर रूप से घायल हुए।

सीटू कार्यकर्ताओं व राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने वाले अन्य जनवादी ताकतों पर अपने हमले केंद्रित करने के लिए असम में पृथकतावादी ताकतों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे समाज विरोधी तत्वों का नामरूप अब अड्डा बन गया है। पिछली अगस्त में ही सीटू कार्यकर्ता एस. देव राय पर बिल्कुल नजदीक से गोली से वार किया गया था और वह बाल-बाल बचा। किसी भी मामले में अपराधियों को गिरफ्तार करने की कोशिशें नहीं की गईं। केंद्र में कांग्रेस (आई) सरकार की पृथकतावादी ताकतों को नियंत्रित करने में बिल्कुल असफलता के कारण उन्होंने कानून व व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है और वे असम में प्रतिरोध आंदोलन के कार्यकर्ताओं पर बार-बार हमले कर रहे हैं।

गृह मंत्री को एक पत्र में सीटू ने समाजविरोधियों की तुरंत गिरफ्तारी व सजा देने तथा मृतक के शोकग्रस्त परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। □

दिल्ली के मजदूरों द्वारा प्रदर्शन

जब न्यूनतम वेतन कमेटी दिल्ली प्रशासन के श्रमायुक्त के कार्यालय में सूचित दरों में संशोधन पर 16 दिसंबर को विचार कर रही थी, हजारों मजदूर इस दफ्तर के सामने 500 रुपये की न्यूनतम वेतन की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, सीटू, एटक, एच. एम. एस., यू. टी. यू. सी., बी. एम. एस. और इंटक (दारा) की संयुक्त कमेटी के आह्वान पर हजारों मजदूरों ने मोरीगेट से शाम साढ़े तीन बजे से एक जुलूस आरंभ किया। दिल्ली प्रशासन को चेतावनी दी गई कि यदि जनवरी 1982 तक 500 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग स्वीकार नहीं की गई तो मजदूर संघर्ष शुरू करने के लिए मजबूर होंगे। अन्यों के अलावा रैली को सुशील भट्टाचार्य, एम. पी., एस. बी. भारद्वाज तथा जोगेंद्र शर्मा ने संबोधित किया। □

सहकारी सोसाइटी की सभी सीटें सीटू ने जीतीं

सीटू के प्रतिनिधियों ने सुदर्शन टैक्सटाइल मिल कोआप्रेटिव सोसाइटी, कोटा, के हाल में संपन्न चुनावों में इंटक व बी एम एस के प्रत्याशियों को हराकर सभी छः सीटें जीत ली हैं।

सीटू प्रतिनिधियों को हराने के लिए इंटक व बी एम एस ने संयुक्त मोर्चा बनाया था। लेकिन सीटू के मजदूरों के हित में लगातार संघर्ष ने उनमें इसकी इज्जत बढ़ा दी थी। इसलिए, विपक्षी संयुक्त मोर्चे की सभी घिनौनी करतूतों को नाकाम करते हुए मजदूरों ने भारी बहुमत से सीटू प्रत्याशियों को विजय दिलाई। □

कामरेड पी. के. मोइत्रा रिहा : सिंप्लैक्स हड़ताल नवें महीने में

सीटू की मध्य प्रदेश राज्य कमेटी के उपाध्यक्ष तथा भिलाई के सिंप्लैक्स इंजीनियरिंग के हड़ताली मजदूरों के नेता पी. के. मोइत्रा 5 दिसंबर को दूधनाथ व हंस सहित जमानत पर रिहा हो गए।

पी. के. मोइत्रा को अन्य कार्यकर्त्ताओं सहित पुलिस ने 4 जून को गिरफ्तार किया, फिर उन्हें जमानत पर छोड़ने से इन्कार किया और पिछले छः महीनों से बिना मुकदमा चलाये जेल में रखा। इस दौरान प्रबंधकों ने पुलिस व गुंडों की मदद से हड़ताली मजदूरों पर उनका उत्साह खत्म करने के लिए दमन तेज कर दिया। लेकिन, मजदूरों की दृढ़ निश्चयी कोशिशों ने अंततः पी. के. मोइत्रा को जमानत पर रिहा करने के लिए अधिकारियों को मजबूर कर दिया।

हड़ताल, जो सिंप्लैक्स उद्योग व सिंप्लैक्स कास्टिंग में भी है, अब नवें महीने में पहुंच गयी है तथा मनमानी गिरफ्तारियों तथा पुलिस-गुंडा गठबंधन के हमलों का सामना कर रही है।

पी. के. मोइत्रा की रिहाई ने मजदूरों में नया जोश भर दिया और उन्होंने भिलाई की गलियों में भारी जुलूस निकाला और संकल्प किया कि जब तक मांगें मानी नहीं जाती हैं संघर्ष जारी रखा जाएगा। □

ज्ञानोदय मजदूरों की जीत

ज्ञानोदय प्रकाशन व ज्ञानोदय प्रैस, पटना, के प्रबंधकों ने मजदूरों को डी. ए., ई. एस. आई., पी. एफ., ओवर टाइम और किसी भी तरह की छुट्टी सुविधा से वंचित कर रखा है। मजदूरों ने यूनियन बनायी और मांग पत्र दायर किया। गुस्से में आकर प्रबंधकों ने महासचिव को बर्खास्त कर दिया। सीटू के नेतृत्व में मजदूरों ने धरना व गेट मीटिंगों द्वारा लगातार संघर्ष चलाया और अंततः प्रबंधकों को एक समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। समझौते के तहत महासचिव बी. पी. द्विवेदी को सेवा सततिता व समूचे पिछले वेतन के साथ बहाल कर लिया गया। अन्य सुविधाओं में 75 रुपये की वेतन वृद्धि, बिहार शाप्स व एस्टैब्लिशमैंट एक्ट के अनुसार ओवर टाइम की अदायगी, ई. एस. आई. सुविधा, ग्रेच्युटी, छुट्टी सुविधाएं, सेवा कार्ड का प्रावधान और आंदोलन के दौरान की वेतन कटौती या सजात्मक कार्रवाई न करना शामिल है। □

सीटू मजदूर

एक प्रति की कीमत 50 पैसे
सालाना चंदा छः रुपये
कम से कम पांच प्रतियों की एजेंसी लिखें :

सीटू कार्यालय
6, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली-110001

महाराष्ट्र के जूनियर इंजीनियर हड़ताल पर

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत कार्यरत लगभग नौ हजार जूनियर इंजीनियर वेतन पुनरीक्षण के सवाल पर 20 नवंबर से हड़ताल पर हैं। यद्यपि शासन और राज्य बिजली बोर्ड जूनियर इंजीनियरों के इस कदम को अचानक उठाया गया कदम कहकर प्रचारित कर रहा है, किंतु हकीकत यह है कि जूनियर इंजीनियरों की मौजूदा समस्या 1974 से शुरू होती है।

अप्रैल 1974 में वेतनमान पुनरीक्षण की घोषणा की गयी थी। समझौता वार्ता होते-होते एमर्जेंसी का दौर आ गया। राज्य सरकार ने सबार्डिनेट इंजीनियर्स एसोसिएशन को बातचीत के लिए आमंत्रित किया और तदर्थ वेतन वृद्धि का आश्वासन देकर छुट्टी पा ली। अगला वेतन पुनरीक्षण अप्रैल 1980 में होना था। इसी बीच 1979 में समझौता हुआ कि मूल वेतन और महंगाई भत्ते को मिलाकर नया वेतनमान निश्चित किया जाय। यह भी तय हुआ कि नया वेतनमान अप्रैल 1979 से लागू किया जाय।

चूंकि बोर्ड के अधिकारी इन तमाम समझौतों को नजरअंदाज करते चले आ रहे थे, इसीलिए राज्य के 9,000 जूनियर इंजीनियरों को मजबूर होकर हड़ताल पर जाने का फैसला लेना पड़ा। ध्यान रहे कि महाराष्ट्र राज्यविद्युत मंडल के जूनियर इंजीनियरों के वेतनमान अन्य राज्यों के बिजली बोर्डों के इंजीनियरों की तुलना में बहुत कम हैं।

दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग (डेसू) के इंजीनियरों ने 18 दिसंबर की महाराष्ट्र के इंजीनियरों की जायज मांगों का समर्थन करते हुए, उन पर जारी दमन के विरोध में दफ्तरों का बहिष्कार किया। विरोध-प्रदर्शन का आह्वान आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की ओर से किया गया। □

हंटरगंज में प्रदर्शन

हंटरगंज (बिहार)। पिछले महीने जिला किसान सभा के नेतृत्व में किसानों, मजदूरों, नौजवानों और महिलाओं ने बी. डी. ओ. और सी. ओ. कार्यालय पर प्रदर्शन करके हंटरगंज प्रखंड को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने, ग्रामीण बेरोजगारों को काम देने, मालगुजारी और कर्ज माफ करने, बिजली, डीजल आदि की पर्याप्त सप्लाई करने तथा 10 रु. प्रतिदिन मजदूरी तय करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं और कमजोर तबकों पर पुलिस-सामंत अत्याचार खत्म करने की मांग भी उठायी। प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बी. डी. ओ. और सी. ओ. से भेंट भी की। □

इंटक चुनाव टालने की फिराक में

उदयपुर, 13 दिसंबर। मैनेजमेंट, सरकार और गुंडों के सहारे चलने वाली इंदिरा कांग्रेसी इंटक उदयपुर काटन मिल में वर्क्स कमेटी के चुनावों से कतरा रही है और चुनावों को टालने की कोशिश कर रही है। इस मिल में लगभग चार साल पहले वर्क्स कमेटी के चुनाव हुए थे। वह कमेटी केवल दो साल के लिए चुनी गयी थी। पिछले महीने नये चुनाव के लिए नोटिस लगाया गया, किंतु जब मालिकों और इंटक नेताओं को यह लगने लगा कि अधिकांश मजदूर सीटू के पक्ष में हैं तो वे बौखला उठे। बताया जाता है कि अब मौखिक रूप से कहा जा रहा है कि चुनाव नहीं होंगे। यद्यपि पहले सीटू नेताओं से सलाह-मशविरा किये बगैर चुनाव का नोटिस लगा दिया गया था, लेकिन जब सीटू ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया तो अब चुनावों को टालने की कोशिशें की जा रही हैं। सीटू के नेताओं ने श्रम विभाग से मांग की है कि इस मिल में जल्द से जल्द चुनाव कराये जायं। □

दो नवीनतम पठनीय पुस्तकें

जाति और वर्ग

लेखक

बी. टी. रणदिवे

सहयोग राशि : 7 रुपये

समकालीन भारत : सर्वग्रासी संकट

लेखक

ई. एम. एस. नंबूदिरिपाद

सहयोग राशि : 10 रुपये

अपने आर्डर निम्न पते पर भेजें :

नेशनल बुक सेंटर,
14, अशोक रोड,
नई दिल्ली-110 001

नेशनल बुक एजेंसी
12, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट,
कलकत्ता-700 012

हमारा एकमात्र परिचय,

हम भारतीय हैं।

हमारी परंपरा,

अनेकरूपता में एकता।

हमारा लक्ष्य,

शोषण, वंचना, भूख,

और गरीबी के खिलाफ कटिबद्ध संघर्ष।

हमारा सबसे बड़ा दुश्मन,

संप्रदायवाद, क्षेत्रीयतावाद,

पृथकतावादी रूझान।

हमारा ध्येय,

गरीबी का उन्मूलन,

सभी असमानताओं का खात्मा, सांप्रदायिक

व विघटनकारी ताकतों पर नियंत्रण तथा शांति की गारंटी,

सुख, भाईचारा और जनवाद।

हम एक हैं।

हम अविभाजीय हैं।

हम भारतीय हैं।

डाइरैक्टोरेट आफ इन्फारमेशन, कल्चरल अफेयर्स
एंड टूरिज्म, त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रकाशित

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित
और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी 52-53 डी. डी. ए. शेड्स, फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित।